दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

अप्रैल, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- फिज़िकल डिस्टेंसिंग': समय की आवश्यकता 5
- राष्ट्रीय राहत कोष: उपयोगिता व महत्त्व 7
- क्वारंटाइन: संक्रामक रोगों का कारगर उपाय 9
- वैश्विक महामारी के दौरान अंतर्राज्यीय संबंध 12
- टेलीमेडिसिन: सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षितिज 15
- गांधीवादी दृष्टिकोण: स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय 17
- प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा 20
- पंचायती राज व्यवस्था और गांधी दर्शन 22
- इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा: विशेषताएँ और चुनौतियाँ 25

आर्थिक घटनाक्रम **29**

- खाद्य प्रणाली: बदलाव की आवश्यकता 29
- कृषि व्यवस्था: अवमंदन से बचाव का बेहतर विकल्प 31

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **34**

- वैश्विक महामारी: भारत और खाड़ी देश 34
- कोरोना बॉण्ड: अर्थव्यवस्था बचाने की मुहिम 36
- संकट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना 39
- बदलते परिदृश्य में भारत-मलेशिया संबंध 41
- हिंद महासागर क्षेत्र: साझा सामरिक विज़न 44
- दक्षिण चीन सागर विवाद: कारण और प्रभाव 47
- सुरक्षा परिषद की अस्मिता पर सवाल 49
- नेबरहुड फर्स्ट: एक समग्र अवलोकन 51

नोट :

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **54**

- डिजिटल डिवाइड: कारण और समाधान 54

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **57**

- सामुदायिक संक्रमण की दहलीज़ पर भारत 57

सामाजिक न्याय **61**

- घरेलू हिंसा का अप्रभावी लॉकडाउन 61
- अंबेडकर और पूना समझौता 64

आंतरिक सुरक्षा **67**

- जैव आतंकवाद: विध्वंस का एक नया रूप 67
- साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका 69
- भारत की आंतरिक सुरक्षा व चुनौतियाँ 72

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

फिज़िकल डिस्टेंसिंग': समय की आवश्यकता

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान पर भारत में भी संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया गया है। लॉकडाउन की व्यवस्था के साथ ही 'सोशल डिस्टेंसिंग' की अवधारणा को अपनाया गया। पिछले कुछ दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग शब्द काफी प्रचलित हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग लगातार प्रधानमंत्री जी द्वारा भी अपने भाषणों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसी शब्द का इस्तेमाल अपने दस्तावेज़ों और निर्देशों में कर रहा है, परंतु यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली पर ध्यान दें तो यह पाते हैं कि इसके द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के स्थान पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग की अवधारणा पर ज़ोर दिया जा रहा है। प्रारंभ में इस शब्द के प्रयोग को लेकर असमंजस था, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा व्यापक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये शारीरिक दूरी बनाए रखने का समय है, लेकिन साथ ही सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर एकजुट होने का समय है। नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल एलड्रिच का तो यह मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल न सिर्फ गलत है, बल्कि इसका अत्यधिक प्रयोग हानिकारक साबित होगा। एलड्रिच के अनुसार, यह समय अभी शारीरिक दूरी बनाए रखने और सामाजिक तौर पर एकजुटता प्रदर्शित करने का है।

इस आलेख में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिज़िकल डिस्टेंसिंग की अवधारणा को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग के स्थान पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग शब्द के प्रयोग के कारणों पर भी विमर्श किया जाएगा।

क्या है सोशल डिस्टेंसिंग ?

- सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य समाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए जाने से है।
- सभाओं में शामिल होने से बचना, सामजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिये।
- किसी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिये।

सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता क्यों ?

- कोरोना वायरस मानव से मानव में स्थानांतरित हो रहा है। मानव से मानव में स्थानांतरण का प्रमुख कारण लोगों की सामाजिक रूप से निकटता है।
- इस वायरस से संक्रमित 1 व्यक्ति 5 दिनों के भीतर ही लगभग 2.5 व्यक्तियों तक इस वायरस का स्थानांतरण कर सकता है। इसकी भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 दिनों के भीतर ही इस वायरस का संक्रमण लगभग 406 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है।
- यदि इस वायरस से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा 50% तक अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया जाता है तो अगले 5 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1.5 व्यक्ति तक तथा अगले 30 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगी।
- इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति द्वारा 75% तक अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया जाता है तो अगले 5 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .625 व्यक्ति तक तथा अगले 30 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 2.5 व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग के बेहतर क्रियान्वयन के लिये ही संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है।

नोट :

क्या है लॉकडाउन ?

- लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडमिक डीज़ीज एक्ट, 1897 के तहत लागू किया जाता है। ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है।
- इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है। जब केंद्र या राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाए कि कोई गंभीर बीमारी देश या राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुँच रही है तो केंद्र व राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक स्तर पर एक-दूसरे से दूरी बनाना) को क्रियान्वित करने के लिये इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं।
- इसे किसी आपदा के समय शासकीय रूप से लागू किया जाता है। इसमें लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है। इसमें ज़रूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएँ बंद कर दी जाती हैं। कार्यालय, दुकानें, फ़ैक्टरियाँ और परिवहन सुविधा सब बंद कर दी जाती है। जहाँ संभव हो वहाँ कर्मचारियों को घर से काम करने के लिये कहा जाता है
- लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। अपने दिशा-निर्देश में सरकार ने शासकीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य बताया है।

सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्याएँ

- 'सोशल डिस्टेंसिंग' को भारतीय जनमानस जिन अर्थों में ग्रहण करता है, उसके पीछे की सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना जरूरी है।
- यह शब्द लम्बे समय से सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिये इस्तेमाल होता रहा है। 'सोशल डिस्टेंसिंग' हमेशा शक्तिशाली समूह द्वारा कमजोर समूह पर थोपी जाती रही है।
- भारत में भेदभाव और दूरी बनाए रखने और अस्पृश्यता को अमल में लाने के तरीके के तौर पर इसका इस्तेमाल होता रहा है।
- प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई दुमों के अनुसार, विश्व के कई देशों की विभिन्न जातियों में 'सोशल डिस्टेंसिंग' जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिये पूर्व से ही प्रचलित है। यहाँ विवाह, खान-पान से लेकर छूआछूत तक 'सोशल डिस्टेंसिंग' का क्रूरतम रूप सामने आता रहा है। ऐसे में यह डर है कि कोरोना वायरस की 'सोशल डिस्टेंसिंग' कहीं जाति प्रथा की 'सोशल डिस्टेंसिंग' के पुनरुत्थान का कारण न बन जाए।
- भारत में अभी भी पानी भरने के स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर दलितों के साथ 'सोशल डिस्टेंसिंग' का व्यवहार किया जाता है। किसका बनाया हुआ खाना कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता ? इसका पूरा विधान है और यह व्यवस्था भारत में खत्म नहीं हुई है।
- उच्च जातियों के लोग इस महामारी के दौरान 'सोशल डिस्टेंसिंग' के सूत्र से लोगों के सामने जाति-व्यवस्था के औचित्य का तर्क रखने लग गए हैं। इसके साथ ही यह तर्क बार-बार दिया जा रहा है कि न छूकर किया जाने वाला अभिवादन, यानी हाथ जोड़कर दूर से किया जाने वाले नमस्ते, भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता को दर्शाता है।
- पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में परिवार के अंदर भी स्त्री और पुरुष के बीच 'सोशल डिस्टेंसिंग' की दीवार बनाई गई है ताकि स्त्री को कमजोर होने का अहसास दिलाकर उसका शोषण किया जा सके। स्त्री के लिये 'सोशल डिस्टेंसिंग' इस तरह से की गई है कि वह घर से बाहर ना निकल सके।
- प्रत्येक समाज में गरीब और अमीर के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग व्याप्त है। इस प्रकार यदि कोरोना वायरस की सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठाकर शक्तिशाली समूह सोशल डिस्टेंसिंग की पुरातन रूढ़िवादी अवधारणा को मजबूत करने में जुट जाते हैं, तो इस पर न सिर्फ नज़र रखने बल्कि इस विचारधारा के प्रतिकार करने की भी आवश्यकता है।

समाधान

- फिज़िकल डिस्टेंसिंग
  - फिज़िकल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य समाजिक दूरी के स्थान पर शारीरिक दूरी को बनाए रखने से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के अनुसार, इस वैश्विक महामारी से निपटने में फिज़िकल डिस्टेंसिंग नितांत आवश्यक है, परंतु इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम समाजिक स्तर अपने प्रियजन व परिवारीजनों से दूरी बना लें।

नोट :

- तकनीकी के इस युग में हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए वीडियो चैट व वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सामाजिक व आत्मीय निकटता को महसूस कर सकते हैं।
- सोशल डिस्टेंसिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोगों को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर रहा है, जबकि फिज़िकल डिस्टेंसिंग लोगों में शारीरिक दूरी को बनाए रखते हुए सामाजिक निकटता लाने पर फोकस करता है।
- सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, जबकि फिज़िकल डिस्टेंसिंग लोगों में शारीरिक दूरी को बढ़ाते हुए भी सामाजिक रूप से निकट ला रहा है।
- फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मीट्रिक मीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भौगोलिक दूरी की माप करता है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक संबंधों के बीच की दूरी का एक मापक है।
- संकट की इस घड़ी में स्पष्ट रूप से फिज़िकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए समाजिक निकटता को बनाए रखने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राहत कोषः उपयोगिता व महत्त्व

संदर्भ

मानव सृष्टि के सृजन से लेकर वर्तमान तक विभिन्न आपदाओं का साक्षी रहा है। आपदाओं का रूप राष्ट्रीय रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय, मानव जाति ने हमेशा इससे निपटने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मानव इस समय भी कोरोनावायरस रूपी वैश्विक आपदा से निपटने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। मानव जाति अपना यह अमूल्य योगदान यथा: डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, आवश्यक वस्तुओं को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने वाले कर्मियों के रूप में अपनी सेवाएँ देकर कर रही है। इन लोगों में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष योगदान न कर अप्रत्यक्ष रूप से अपने घरों में रहकर सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक आपदा से निपटने में राष्ट्रीय राहत कोष में अपनी क्षमतानुसार दान कर रहा है।

विदित है कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। आज विश्व के अधिकांश देश इस महामारी से निपटने की जद्दोजहद कर रहे हैं, परिणामस्वरूप विभिन्न देशों ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये

लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया है। लॉकडाउन के कारण देश के भीतर होने वाले आर्थिक संव्यवहार और सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व दोनों में ही गिरावट हुई है। इस विकट परिस्थिति से निकलने के लिये प्रधानमंत्री ने “PM CARES” नामक कोष की स्थापना की है और लोगों से अधिक से अधिक दान देने की अपील भी की है।

इस आलेख में आपदाओं से निपटने के संदर्भ में ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ की भूमिका व उसकी पृष्ठभूमि पर विमर्श करने के साथ ही ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष’ (PM Citizens Assistance and Relief in Emergency Situations- PM CARES) के गठन की आवश्यकता पर भी समीक्षा करने का प्रयास किया जाएगा।

क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ?

- पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों की मदद करने के उद्देश्य से जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता द्वारा दिये गए अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी।
- प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष हैं तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं।
- ध्यातव्य है कि यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- वर्ष 1985 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्ण नियंत्रण में ले लिया गया।
- वर्ष 1985 से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से धन का आवंटन व लाभार्थी के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है।

कार्य

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का उपयोग प्रमुखत: बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिये किया जाता है।
- इसके अलावा, हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिये भी इस कोष से सहायता दी जाती है।
- कोष में संचित समग्र निधि का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से ही वितरित की जाती है।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का अंकेक्षण नहीं किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ने गुजरात भूकंप, सुनामी, बुंदेलखंड सूखा, मुंबई आतंकवादी हमला, जम्मू-कश्मीर बाढ़, उत्तराखंड बाढ़, चेन्नई व केरल में आई बाढ़ में राज्यों को आर्थिक सहायता पहुँचाई है।

स्वीकार किये जाने वाले अंशदान के प्रकार

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था द्वारा केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किये जाते हैं।
- सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट्स से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
- विनाशकारी स्तर की प्राकृतिक आपदा के समय प्रधानमंत्री इस कोष में अंशदान करने हेतु अपील करते हैं। ऐसे सशर्त अनुदान जिसमें दाता द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये है, स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
- वर्ष 2019 के अंत तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 3800 करोड़ रुपये का फंड शेष था, जो कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से निपटने में पर्याप्त नहीं है। इसलिये इस महामारी से निपटने के लिये प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष

- भारत मे कोरोना वायरस व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिये प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष अर्थात PM CARES नामक एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों और कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान करने की अपील की और कहा कि इसमें जो पैसा आएगा, उससे कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को मज़बूती मिलेगी।
- प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री को शामिल किया गया है।
- इस ट्रस्ट में विज्ञान, स्वास्थ्य, विधि और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों को बतौर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है।
- यह ट्रस्ट धन का आवंटन और लाभार्थियों के चयन का निर्णय ट्रस्ट के सदस्य व मनोनीत सदस्य के सामूहिक निर्णय के आधार पर करता है।
- इस ट्रस्ट में भी सरकार के बजट स्रोतों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट्स से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
- कंपनियों द्वारा किया गया दान कंपनी अधिनियम,2013 के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाएँगे।
- PM CARES ट्रस्ट में पदेन सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति इसे एक विकेंदीकृत निकाय बनाकर जवाबदेह बनाती है।
- इस ट्रस्ट में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS Fund) के द्वारा संसद सदस्य भी धन का योगदान कर सकते हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- MPLADS 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी।
- यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए।
- इन दिशा-निर्देशों में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012 और मई 2014 में पुन: संशोधन किये गए।

नोट :

- दिशा-निर्देशों को संशोधित करते समय संसद सदस्यों, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, सभी हितधारकों के सुझावों और विगत वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य संसद सदस्यों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना है जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें।
- योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किये जाते है जो विकासमूलक, स्थानीय ज़रूरतों पर आधारित, जनता के उपयोग के लिये हमेशा सुलभ हों। इस योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे- पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क इत्यादि।
- इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यपगत होती है अर्थात यदि कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होती, तो उसे आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशियों में जोड़ दिया जाता है। इस समय, प्रति सांसद/निर्वाचन-क्षेत्र के लिये वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपए है।
- इस योजना के तहत संसद सदस्यों की भूमिका संस्तुतिपरक है। वे संबंधित ज़िला प्राधिकारियों को अपनी पसंद के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जो संबंधित राज्य सरकार की स्थापित कार्यविधियों का पालन करते हुए इन कार्यों को कार्यान्वित करते है।

आलोचना के बिंदु

- भारत में ट्रस्ट, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत काम करते हैं। किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट के लिये यह आवश्यक होता है कि उसकी एक ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) बने जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र होता है कि वह किन उद्देश्यों के लिये बना है, उसकी संरचना क्या होगी और वह कौन-कौन से काम किस ढंग से करेगा? फिर इसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में कराना होता है।
- PM CARES ट्रस्ट के विलेख, उसके कानून व नियम तथा इसके पंजीकरण संबंधी जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं की गई हैं।
- आलोचकों के एक वर्ग का मानना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की उपस्थिति के बावज़ूद PM CARES नामक नए ट्रस्ट की स्थापना का औचित्य अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जबकि PM CARES ट्रस्ट का संचालन किस मंत्रालय व किन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है।
- PM CARES ट्रस्ट में विपक्ष के नेता व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है।
- PM CARES ट्रस्ट को इस क्षेत्र में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है परिणामस्वरूप ज़मीनी स्तर पर कार्य करते समय इसे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

इस वैश्विक संकट की घड़ी में सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आत्मीय एकजुटता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। नि:संदेह कोरोना वायरस के प्रसार से उपज़ी परिस्थितियों से निपटने के लिये स्थापित किये गए PM CARES ट्रस्ट में पारदर्शिता का अभाव है, परंतु इस समय सरकार को अपना पूरा ध्यान इस समस्या के निदान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिये आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की खरीद, अधिक से अधिक टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराने व प्रभावी वैक्सीन के निर्माण की दिशा में लगाना चाहिये।

क्वारंटाइन: संक्रामक रोगों का कारगर उपाय

संदर्भ

वैश्वीकरण ने विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अन्त:निर्भरता में वृद्धि हुई है। वैश्विक महामारी COVID-19 के संक्रमण से पूर्व वैश्वीकरण के पक्ष में उपर्युक्त तर्कों को सुनना आम बात थी। COVID -19 महामारी आज भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। अब पूरी

दुनिया में इसका असर भी दिखने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्वीकरण के कारण आपसी संपर्क बढ़ने से पूरा विश्व इस गंभीर बीमारी के प्रति सुभेद्य हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार, लगभग 190 देशों में 1,000,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने का प्राथमिक उपचार क्वारंटाइन व आइसोलेशन विधि है। इस आलेख में क्वारंटाइन व आइसोलेशन की प्रक्रिया, दोनों में आधारभूत अंतर, क्वारंटाइन व आइसोलेशन के संदर्भ में भारत की तैयारी, भारत में क्वारंटाइन व आइसोलेशन की कठिनाइयाँ तथा महत्त्व पर विमर्श किया जाएगा।

क्या है क्वारंटाइन?

- सामान्यत: क्वारंटाइन शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्वारेंटेना (Quarantena) से बना है। जिसका मूल अर्थ '40 दिन के समय' से है। इसका मतलब संगरोध या संगरोधन या किनारे पर आने-जाने से रोकना है।
- ऐसी कोई बीमारी, जिसकी मानव से मानव में स्थानांतरित होने की पुष्टि हो चुकी है और उस दौरान यदि किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका होती है, भले ही उसमें संक्रमण के लक्षण न प्रकट हुए हो तो भी उस व्यक्ति की गतिविधियाँ को एक स्थान विशेष में सीमित कर दिया जाता है।
- दरअसल, पुराने समय में जिन जहाज़ों में किसी यात्री के रोगी होने या जहाज़ पर लदे माल में रोग प्रसारक कीटाणु होने का संदेह होता था, तो उस जहाज़ को बंदरगाह से दूर चालीस दिन ठहरना पड़ता था।
- प्राचीन काल में विभिन्न समाजों ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिये संगरोध का सहारा लिया है, तथा यात्रा व परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। इतना ही नहीं संक्रमित व्यक्तियों के संक्रमण मुक्त होने तक समुद्री संगरोध (Maritime Quarantine) का भी सहारा लिया।
- ग्रेट ब्रिटेन में प्लेग को रोकने के प्रयास के रूप में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1824 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल (John Marshall) ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी संक्रामक रोग के प्रसार की आशंका में राज्य के पास क्वारंटाइन कानून और स्वास्थ्य आपातकाल के दिशा-निर्देशों को लागू करने का पूर्ण अधिकार है।
- बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण के तेजी से हो रहे प्रसार को कम करने के लिये क्वारंटाइन को सबसे प्रभावी और पुराना तंत्र माना जाता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के रखरखाव और बीमारियों के संचरण को नियंत्रित करने के लिये दुनिया के सभी न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से अनुमोदित किया गया है।
- यह दर्शाता है कि चिकित्सा जगत ने क्वारंटाइन विधी को संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने में एक प्रभावी उपाय के रूप में मान्यता दी है।
- वर्ष 1377 में यूरोप महाद्वीप में तेज़ी से फैल रहे प्लेग के प्रसार को रोकने के लिये ग्रेट काउंसिल (Great Council) ने पहली बार मेडिकल आइसोलेशन बिल को पारित किया।
- आइसोलेशन के अंतर्गत 30 दिन की समयावधि को निर्धारित किया गया, जिसे ट्रेंटिनो (Trentino) नाम दिया गया। जब इस समयावधि को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया तब इसे क्वारंटाइन नाम से जाना जाने लगा।

क्वारंटाइन व आइसोलेशन में अंतर

- सामान्य रूप से आइसोलेशन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से संक्रमित हो जाता है। इस प्रक्रिया में संक्रमित व्यक्ति को अन्य गैर संक्रमित लोगों से अलग कर दिया जाता है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न स्थानांतरित हो पाए। वहीं क्वारंटाइन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी समूह या समुदाय के संक्रमित होने की आशंका व्यक्त की जाती है।
- आइसोलेशन का कार्य स्वास्थ्य उपकरणों से लैस परिसरों यथा: हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, मेडिकल कॉलेज इत्यादि स्थानों पर ही संभव है। जबकि क्वारंटाइन की प्रक्रिया अस्थाई तौर पर सीमित स्वास्थ्य उपकरणों से लैस स्थानों पर अपनाई जा सकती है। व्यक्ति स्वयं को होम क्वारंटाइन भी कर सकता है अर्थात अपने घर के किसी एक कमरे में ही अपनी गतिविधियों को सीमित कर ले।

- जहाँ आइसोलेशन का उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति को पूर्णरूप से संक्रमण मुक्त करना है तो वहीं क्वारंटाइन का उद्देश्य संक्रमण की आशंका वाले समूह या समुदाय की निगरानी करना है।
- कोरोना वायरस के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आइसोलेशन की कोई निर्धारित समयावधि नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्णत: संक्रमण मुक्त होने तक कार्य करती है। जबकि क्वारंटाइन की समयावधि 14 दिन निर्धारित की गई है।

क्वारंटाइन अवधि व मूल अधिकार

- वर्ष 1990 में गोवा में कार्यरत वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फेडरेशन के एक कर्मचारी को HIV वायरस के संक्रमण से पीड़ित पाया गया। उसे गोवा पब्लिक हेल्थ (अमेंडमेंट) एक्ट, 1957 द्वारा तत्काल 64 दिनों की क्वारंटाइन अवधि में रखा गया। परंतु उस व्यक्ति द्वारा सरकार के इस कृत्य को अपने मूल अधिकारों के हनन के रूप में देखा गया और मूल अधिकारों की पुनर्बहाली हेतु बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।
- वर्ष 1990 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि एकांतवास में किसी व्यक्ति को रखना निश्चित ही उसके मूल अधिकारों का हनन है, परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है जिसका प्रसार एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में हो सकता है तब ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पब्लिक हेल्थ के विरुद्ध प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जनहित को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार के क्वारंटाइन अवधि के निर्णय को सही पाया गया।
- वर्ष 2014 में इबोला नामक संक्रामक बीमारी का इलाज़ करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को कुछ दिनों के लिये क्वारंटाइन अवधि में रखने का निर्णय लिया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जनहित व जन स्वास्थ्य को वरीयता दी गई।
- भारत में एपिडमिक डिजीज़ एक्ट, 1897 के अनुसार, किसी संक्रामक बीमारी के प्रसार की आशंका में केंद्र व राज्य सरकार को निरोधात्मक उपाय करने की शक्ति प्रदान की गई है।

एपिडमिक डिजीज़ एक्ट, 1897

- औपनिवेशिक काल में महामारियों की रोकथाम के लिये एपिडमिक डिजीज़ एक्ट, 1897 बनाया गया था। जो स्वाइन फ्लू, डेंगू, हैज़ा और प्लेग जैसी बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिये देशभर में नियमित रूप से लागू किया जाता है।
- यह अधिनियम विशेष प्रावधान करता है जो बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने और रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिये आवश्यक हैं।

प्रावधान

- एपिडमिक डिजीज़ एक्ट, 1897 की धारा 2 के अनुसार, जब राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है, या होने की आशंका हो और मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिये उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिये किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिये आवश्यक समझे तथा वह यह भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत व्यय (इसके अंतर्गत प्रतिकर, यदि कोई हो तो) किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे।
- अधिनियम की धारा-2 ए केंद्र सरकार को महामारी के प्रसार को रोकने के लिये कदम उठाने का अधिकार देती है। यह सरकार को किसी भी जहाज़ के आने या किसी बंदरगाह को छोड़ने और देश में आने या जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- अधिनियम की धारा-3 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अनुसार, किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम की धारा-4 के अनुसार, अधिनियम का कार्यान्वयन कराने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- भारत में होम क्वारंटाइन जैसी सुविधा तैयार करना बेहद कठिन व खतरनाक है क्योंकि भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक है। भारत में अन्य विकसित देशों के विपरीत मकानों की अवसंरचना अत्यधिक सघन है।

- जागरूकता में कमी के कारण लोग अस्थाई तौर पर निर्मित किये गए क्वारंटाइन सेंटर्स से भाग जाते हैं।
- क्वारंटाइन सेंटर्स में निवास कर रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए आपस में वस्तुओं का लेनदेन करते हैं।
- यह भी देखा जा रहा है कि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी है।

आगे की राह

- प्राकृतिक या मानवजनित बड़ी आपदाओं से निपटने के लिये बनाए गए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee-NCMC) के माध्यम से सामाजिक संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।
- एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें प्रमुख संकेतक, रोग की पहचान संबंधी दिशा-निर्देश, जोखिम संचार सामग्री और उपायों की कार्ययोजना शामिल हो।
- सरकार को आइसोलेशन वार्ड की सुविधा के साथ सेपरेशन किट, मास्क इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिये।
- कोरोना वायरस से बचाव न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को इससे बचाव हेतु आकस्मिक और अग्रिम तैयारी की योजनाएँ बनानी चाहिये।

वैश्विक महामारी के दौरान अंतर्राज्यीय संबंध

संदर्भ

भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के अंतर्संबंधों पर भी निर्भर करती है। वैश्विक महामारी COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये विभिन्न राज्यों में आपसी समन्वय का होना अति आवश्यक है। ऐसी ही परिस्थितियों की कल्पना कर संविधान निर्माताओं ने राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मज़बूत करने के उद्देश्य से ही अंतर्राज्यीय संबंधों के प्रावधानों को लिपिबद्ध किया। भारत की संघीय व्यवस्था में विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच मतभेद हो जाना कोई नई बात नहीं है।

इसका ताज़ा उदाहरण वैश्विक महामारी COVID-19 से उपज़ी परिस्थितियों के बीच केरल व कर्नाटक के बीच उत्पन्न जुए मतभेदों में देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों के बीच आपसी समन्वय के अभाव का एक अन्य उदाहरण विभिन्न राज्यों से कामगारों के अपने गृह जनपदों व गाँवों में हुए पलायन में भी देखा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में हुई इस प्रकार की अव्यवस्था से यह साफ नज़र आता है कि राज्यों के बीच परस्पर समन्वय एवं सहयोग की भावना का तथा विपरीत परिस्थितियों में संकट प्रबंधन का भी अभाव है।

इस आलेख में केरल व कर्नाटक के बीच उपजे मतभेद व राज्यों के बीच परस्पर समन्वय के अभाव में हुए पलायन के कारणों के आलोक में अंतर्राज्यीय संबंधों व उनकी महत्ता को समझने का प्रयास किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये कर्नाटक सरकार ने केरल से सटी हुई सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि चूँकि केरल में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है इसलिये केंद्र सरकार द्वारा विनिर्धारित सुरक्षापायों को लागू करते हुए राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित करने के लिये यह कदम उठाया गया है।
- वहीँ केरल सरकार का कहना है कि कर्नाटक सरकार द्वारा सीमा सील करने से स्वास्थ्य सेवा में लगे वाहनों का परिचालन बाधित हो गया है, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों में रुकावट पैदा हो गई है।
- केरल सरकार का यह भी आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने केरल के कासरगोड ज़िले को कर्नाटक के मंगलुरु ज़िले से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया है जिससे कासरगोड ज़िले के लोग मंगलुरु में स्थित बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

- केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वास्थ्य सेवा में लगे वाहनों के स्वतंत्र परिचालन को सुनिश्चित करे।

नोट :

- स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने से इनकार करना अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

- केरल उच्च न्यायालय के दिये गए निर्णय के विरोध में कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को दोनों राज्यों की समस्याओं का अध्ययन कर स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिये।

कर्नाटक की आपत्ति का कारण

- कर्नाटक सरकार का कहना है कि केरल के कासरगोड ज़िले में सर्वाधिक कोरोना वायरस से पीड़ित लोग पाए गये हैं। ऐसे में यदि इन्हें कर्नाटक आने दिया जाता है तो संभव है कि वायरस का प्रसार यहाँ भी तेज़ी से हो जाए क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो मानव से मानव में स्थानांतरित होता है।
- कर्नाटक के मंगलुरु ज़िले की स्वास्थ्य अवसंरचना पर पहले से ही अत्यधिक दबाव है। ऐसे में यदि कासरगोड ज़िले के रोगियों के परीक्षण का अत्यधिक दबाव पड़ता है तो इस स्वास्थ्य अवसंरचना के ध्वस्त हो जाने की आशंका है।
- कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य सरकार के पास किसी भी समय अपने राज्य की सीमाओं को सील करने की भी शक्ति होती है।
- कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया कि केरल के राज्यपाल द्वारा कुछ दिनों पूर्व ही संक्रामक बीमारियों के रोकथाम से संबंधित 'केरल एपिडमिक डीज़ीज़' नामक एक अध्यादेश पारित किया है जो ऐसी स्थिति में राज्य को अपनी सीमा सील करने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है।

केरल एपिडमिक डीज़ीज़ अध्यादेश

- केरल एपिडमिक डीज़ीज़ अध्यादेश का उद्देश्य महामारी के दौरान रोगों के विनियमन और रोकथाम से संबंधित सभी कानूनों को समेकित करना है।
- अध्यादेश की धारा 4 में सरकार को इस महामारी से निपटने के लिये विशेष उपाय करने और नियमों को लागू करने की अनुमति मिलती है। इसमें आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ मीडिया, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा आदि को प्रतिबंधित करने की भी शक्ति शामिल है।
- यह अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी, ईंधन, आदि में सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
- इसके अलावा, यह अध्यादेश राज्य सरकार को कई अन्य व्यापक अधिकार देता है। उदाहरण के लिये यह सरकार को सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, राज्य की यात्रा करने वालों की निगरानी करने, राज्य की सीमाओं को सील करने, सार्वजनिक और निजी परिवहन को प्रतिबंधित करने, सरकारी और निजी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, दुकानों, कारखानों आदि के कार्य को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अध्यादेश में 10,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ या बिना दो वर्ष के कारावास के दंड का भी प्रावधान है।

राज्यों के बीच समन्वय के अभाव के अन्य उदाहरण

- कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के दौरान विभिन्न राज्यों यथा आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि से कामगारों के व्यापक पैमाने पर पलायन की घटना देखने को मिली।
- दिल्ली, उत्तरप्रदेश और बिहार सरकार के बीच कामगारों के पलायन के दौरान समन्वय का स्पष्ट अभाव दिखा। जिससे दिल्ली व उत्तरप्रदेश की सीमा पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का भी पालन सुनिश्चित नहीं कर पाए।

अंतर्राज्यीय सौहार्द बढ़ाने की दिशा में किये गए प्रयास

- संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किये हैं-
    - अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय-निर्णयन
    - अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता

नोट :

- सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेज़ों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता
- अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता
- क्षेत्रीय परिषद।

- अंतर्राज्यीय जल विवाद न्याय-निर्णयन
  - संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित हैं।
  - संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बँटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्यायनिर्णयन कर सकती है।
  - संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें।
- अंतर्राज्यीय परिषद
  - संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, राज्यों के परस्पर विवादों का निर्णय करने और उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है।
  - इसी प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी।
  - अंतर्राज्यीय परिषद संघ तथा राज्य सरकारों की नीतियों में समन्वय उत्पन्न करने और राज्यों के परस्पर विवादों को निपटने के लिये संघ सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेज़ों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता
  - अनुच्छेद 261 के अनुसार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी।
  - इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार होगा।
  - भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित किये जाएँगे।
- अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता
  - संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है।
- क्षेत्रीय परिषद
  - राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून (States Reorganisation Act), 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत चार क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई।
  - वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये एक अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा किया गया।
  - प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल तथा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से नामित दो अन्य मंत्री क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं।
  - प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिये योजना आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया, क्षेत्र में शामिल किये गए प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिवों एवं अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त को नामित किया गया।

निष्कर्ष

संकट की इस घड़ी में प्रत्येक राज्य को सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ताकि इस समस्या से हम शीघ्र बाहर निकल सकें। ऐसे कठिन समय में समन्वय और सहयोग की ज़रूरत है। इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोका जा सकता है। इस दिशा में भारत द्वारा सार्क सदस्य राष्ट्रों के साथ की गई समन्वय की पहल सराहनीय है। हमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही प्रयासों को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है

नोट :

टेलीमेडिसिन: सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षितिज

संदर्भ

इस वैश्विक महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल उद्योग वर्तमान में बड़े पैमाने पर परिवर्तनशील दौर से गुज़र रहा है। इस संकट के दौरान सामान्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बहाल करने की आवश्यकता है। वर्तमान में 'टेलीमेडिसिन' जिसे ई-स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, कि आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इस समय संपूर्ण देश की स्वास्थ्य अवसंरचना COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने में लगी हैं। ऐसे में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के समक्ष चिकित्सीय सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। भारत में टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ के वर्तमान परिदृश्य का मूल्यांकन करने का यह सही समय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अध्ययन में यह पाया गया कि टेलीमेडिसिन भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लिये बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर सकता है, इससे मुख्यत: ग्रामीण आबादी अत्यधिक लाभान्वित होगी।

'टेली' एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 'दूरी' और 'मेडेरी' एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'ठीक करना'। टाइम पत्रिका ने टेलीमेडिसिन को 'हीलिंग बाई वायर' (healing by wire) के नाम से संबोधित किया है। हालाँकि प्रारंभ में इसे 'भविष्यवादी' और 'प्रायोगिक' माना जाता था, लेकिन टेलीमेडिसिन आज एक वास्तविकता है। निश्चित ही भारतीय चिकित्सा क्षेत्र के कार्मिक कंप्यूटर के कुशल जानकार नहीं हैं, वस्तुत: चिकित्सा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में जागरूकता और जोखिम की कमी है। ये भारत में टेलीमेडिसिन के विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं। निस्संदेह, हमें तकनीकी जागरूकता की कमी को रुकावट नहीं बनने देना चाहिये और नवाचारों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।

इस आलेख में टेलीमेडिसिन, उसके अनुप्रयोग तथा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीकी के भविष्य पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

क्या है टेलीमेडिसिन ?

- टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की एक उभरती हुई विधा है जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चिकित्सा विज्ञान के सहक्रियात्मक संकेन्द्रण से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्र जैसे- शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रबंधन के अनेक अनुप्रयोगों के अलावा स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी की चुनौतियों को पूरा करने की अपार संभाव्यता निहित है।
- यह उतना ही प्रभावी है जितना एक टेलीफोन के ज़रिये चिकित्सा संबंधी किसी समस्या पर रोगी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपस में बात करते हैं।
- ईसीजी, रेडियोलॉजिकल इमेज आदि जैसे नैदानिक परीक्षणों, चिकित्सीय जानकारी के लिये इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड भेजने और आईटी आधारित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से रियल टाइम आधार पर अंत:क्रियात्मक चिकित्सा वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, उपग्रह और स्थलीय नेटवर्क द्वारा ब्रॉडबैंड के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जटिल कार्य करना भी इसका भाग है।

टेलीमेडिसिन का इतिहास

- पिछले कुछ वर्षों में टेलीमेडिसिन के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में दी गई सेवाएँ दूरसंचार प्रौद्योगिकी के अपेक्षाकृत नए उपयोग के रूप में दिखाई देती हैं, सच्चाई यह है कि टेलीमेडिसिन विगत 30 वर्षों से किसी न किसी रूप में उपयोग में है। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) ने टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- टेलीमेडिसिन में NASA के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में प्रारंभ हुए जब मानव ने अंतरिक्ष में उड़ान भरना शुरू किया। मिशन के दौरान फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को अंतरिक्ष यान से प्रेषित किया गया था।
- टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग एरिज़ोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिये किया गया।
- वर्ष 1971 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा अलास्का के 26 स्थलों को चुना गया ताकि यह देखा जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने की दिशा में तकनीकी द्वारा टेलीमेडिसिन का प्रयोग कितना कारगर है।
- वर्ष 1989 में नासा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके तत्त्वावधान में आर्मेनिया के येरेवन शहर में एक टेलीमेडिसिन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया। इसके बाद अमेरिका में चार स्थलों पर टेलीमेडिसिन चिकित्सा केंद्र स्थापित किये गए, जो कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि तकनीकी सुविधाओं से लैस थे।

भारत में टेलीमेडिसिन का विकास

- भारत में इसरो ने वर्ष 2001 में टेलीमेडिसिन सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के साथ प्रारंभ की, जिसने चेन्नई के अपोलो अस्पताल को चित्तूर जिले के अरगोंडा गाँव के अपोलो ग्रामीण अस्पताल से जोड़ा था।
- इसरो द्वारा की गई पहल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राज्य सरकारों ने भी भारत में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानकीकृत टेलीमेडिसिन चिकित्सा दिशानिर्देश जारी किये गए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स की स्थापना जैसे सकारात्मक कार्य किये गए।
- इसरो का टेलीमेडिसिन नेटवर्क एक लंबा सफर तय कर चुका है। इस नेटवर्क में 45 दूरस्थ ग्रामीण अस्पतालों और 15 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया का चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज और अन्य राज्यों के कुछ ग्रामीण / जिला अस्पताल इस नेटवर्क में शामिल हैं।

टेलीमेडिसिन अनुप्रयोग के क्षेत्र

- टेलीहेल्थ- टेलीहेल्थ लंबी दूरी की क्लिनिकल हेल्थकेयर, रोगी और पेशेवर स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रशासन का समर्थन करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का एक समूह है।
- टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र- टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र वह स्थल है जहाँ रोगी उपस्थित होता है। एक टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र में, रोगी की चिकित्सा जानकारी को स्कैन / परिवर्तित करने, बदलने और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साझा करने के लिये उपकरण उपलब्ध होते हैं।
- टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर- टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर एक स्थल है, जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। वह दूरस्थ स्थल में मौजूद रोगी के साथ बातचीत कर सकता है और उसकी रिपोर्ट देख सकता है तथा उसकी प्रगति की निगरानी कर सकता है।
- टेलीमेडिसिन प्रणाली- टेलीमेडिसिन प्रणाली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार चैनल के बीच एक इंटरफेस है जो अंततः सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और दो स्थानों के बीच टेलीकाउंसलिंग को सफल बनाने के लिये दो भौगोलिक स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। हार्डवेयर में एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो-कांफ्रेंसिंग उपकरण आदि होते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर रोगी की जानकारी (चित्र, रिपोर्ट, फिल्म) आदि को सक्षम बनाता है। संचार चैनल कनेक्टिविटी को सक्षम करता है जिससे दो स्थान एक दूसरे से जुड़ सकते हैं।

टेलीमेडिसिन की उपयोगिता

- सुदूर क्षेत्रों तक आसान पहुँच।
- परिधीय स्वास्थ्य सेट-अप में टेलीमेडिसिन का उपयोग रोगी परिवहन में लगने वाले समय और लागत को काफी कम कर सकता है।
- गंभीर देखभाल की निगरानी, जहाँ रोगी को स्थानांतरित करना संभव नहीं है।
- चिकित्सा शिक्षा और नैदानिक अनुसंधान जारी रखने में सहायता।
- आपदा के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं में किसी प्रकार की रुकावट नहीं।
- टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि दूरसंचार स्थापित होने के बाद यह चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञता ला सकता है।
- रोबोट्स का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य टेलीमेटेड सर्जरी
- यह महामारी की आशंका में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बीमारियों की रियल टाइम निगरानी में एक सक्षम विकल्प है।

टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में सरकार के प्रयास

- संजीवनी- वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन से संबंधित एक सॉफ्टवेयर जारी किया जिसे संजीवनी नाम दिया गया। इसे टेलीमेडिसिन के हाइब्रिड मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो 'स्टोर और फॉरवर्ड' के साथ-साथ रियल टाइम की अवधारणा का उपयोग करता है।

नोट :

- सेहत- वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के ज़रिये विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पतालों का नेटवर्क संचालित करने वाली कंपनी अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी- Common Service Centre) में टेलीमेडिसिन सेवा 'सेहत' शुरू की है।
- कॉनटेक- कॉनटेक' परियोजना दरअसल 'कोविड-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर' का संक्षिप्त नाम है। यह एक टेलीमेडिसिन केन्द्र है जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान., नई दिल्ली के द्वारा की गई है, जिसमें देश भर से विशेषज्ञों के बहु-आयामी सवालों का उत्तर देने के लिये विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होंगे। यह एक बहु-मॉडल दूरसंचार केन्द्र है जिसके माध्यम से देश के अलावा विश्व के किसी भी हिस्से से दोनों ओर से ऑडियो-वीडियो वार्तालाप के साथ-साथ लिखित संपर्क भी किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी ई-चिकित्सा या टेलीमेडिसिन के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त और परिचित नहीं हैं।
- टेलीमेडिसिन के परिणामों के बारे में रोगियों में विश्वास की कमी है।
- भारत में तकनीक और संचार लागत बहुत अधिक है, कभी-कभी यह टेलीमेडिसिन को वित्तीय रूप से अक्षम बना देती है।
- भारत में, लगभग 40% जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे रहती है। ऐसे में इस वर्ग का तकनीकी रूप से दक्ष होना अत्यधिक कठिन है।
- विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा समर्थित ई-चिकित्सा को अभी भी परिपक्व होने की आवश्यकता है। सही निदान और डेटा के अन्वेषण के लिये, हमें उन्नत जैविक सेंसर और अधिक बैंडविड्थ समर्थन की आवश्यकता है।
- टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा के मामले में दिशानिर्देश बनाने व इन दिशानिर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये शासी निकाय का अभाव है।

निष्कर्ष

टेलीमेडिसिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन कई समस्याओं को संबोधित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। टेली-हेल्थ, टेली-एजुकेशन और टेली-होम हेल्थकेयर जैसी सेवाएँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चमत्कारिक साबित हो रही हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का विशेष महत्त्व है जैसा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान देखा जा रहा है। टेलीमेडिसिन की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को करीब ला रही है और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में रुकावटों को दूर कर रही है। इतनी क्षमता होने के बावजूद अभी भी टेलीमेडिसिन ने उस ऊँचाई को प्राप्त नहीं किया है जहाँ इसे पहुँचने की आशा थी। हालाँकि सरकारें अब टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने में गहरी दिलचस्पी लेने लगी हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके उपयोग में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में, टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुँचाया जाएगा।

गांधीवादी दृष्टिकोण: स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय

संदर्भ

आज आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे विश्व के सभी देशों की गति पर कोरोना वायरस ने ब्रेक लगा दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना वायरस का तेज़ी से प्रसार इसी दौड़ का परिणाम है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई गई है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सामान्यत: महात्मा गांधी को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध के विरुद्ध संघर्ष करने वाले योद्धा के रूप में देखा जाता है, किंतु यदि गहराई से देखें तो गांधी ने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई बल्कि उन्होंने हर समय भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठता दिलाने का प्रयास भी किया और विश्व व्यवस्था के समक्ष भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व किया।

पश्चिमी सभ्यता के वर्चस्व वाले उस युग में गांधी ने भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ बताते हुए उसे संपूर्ण विश्व के लिये एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। रामधारी सिंह 'दिनकर' ने गांधी के बारे में उचित ही लिखा है-

"एक देश में बांध संकुचित करो न इसको
गांधी का कर्तव्य क्षेत्र, दिक् नहीं, काल है

गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की
गांधी मानवता का अगला उद्विकास है”

इस आलेख में गांधीवादी दृष्टिकोण की व्यापकता को समझते हुए, वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहायक स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाएगा।

गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है ?

- गांधीवादी दृष्टिकोण महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक-सामाजिक विचारों का समूह जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाए गए थे।
- गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है, जिनको गांधीजी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है।
- गांधीवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर ज़ोर देती है।
- गांधीजी का दृष्टिकोण विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों व नायकों जैसे- भगवद्गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से प्रभावित था।
- गांधीजी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1909 में अपनी पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ में मशीनीकरण के भयावह रूप को रेखांकित करते हुए ‘स्वदेशी’ की महत्ता को बताया।
- गांधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' से 'सर्वोदय' के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा।
- गांधीजी के लिये ‘स्वच्छता’ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। वर्ष 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर जीवनभर गांधीजी लगातार स्वच्छता पर जोर देते रहे।

स्वदेशी से तात्पर्य

- स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। 'स्व' का अर्थ है स्वयं और 'देश' का अर्थ है देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन व्यवहारिक संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है।
- गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता (स्वराज) को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था।

गांधी का स्वदेशी दर्शन

- आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने लेखन से स्वदेशी की अलख जगाई।
- वर्ष 1905 का बंग-भंग विरोधी आंदोलन भी स्वदेशी की भावना से ओत-प्रोत था जब बंगाल में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और उनके बहिष्कार पर बल दिया गया।
- इस स्वदेशी भाव को राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी स्वरूप प्रदान करने का कार्य वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करके किया।
- उन्होंने इसे न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा उनके अग्निदाह तक सीमित रखा, बल्कि उद्योग-शिल्प, भाषा, शिक्षा, वेश-भूषा आदि को स्वदेशी के रंग में रंग दिया।
- परंतु स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की मृत्यु के साथ ही उनके स्वदेशी की अवधारणा भी लुप्त होने लगी और आधुनिक भारत के मंदिरों के नाम पर ‘स्वदेशी धरती’ पर विदेशी मशीनों को लाकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगीं।
- नतीजतन, देश के तमाम हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग लुप्त होते चले गए, घर-घर से चरखा गायब होता चला और शहरों से लेकर गाँवों तक देशी-विदेशी फैक्ट्रियों के उत्पादित माल बाज़ार में छा गए।
- हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग के लुप्त होने से भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को खो दिया।

नोट :

गांधी और स्वच्छता

- भारत में गांधी जी ने गांव की स्वच्छता के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से पहला भाषण 14 फरवरी 1916 में मिशनरी सम्मेलन के दौरान दिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था 'गाँव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले हल कर लिया जाना चाहिये था।'
- गांधी जी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
- गांधीजी ने रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे में बैठकर देशभर में व्यापक दौरे किए थे। वह भारतीय रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे की गंदगी से स्तब्ध और भयभीत थे। उन्होंने समाचार पत्रों को लिखे पत्र के माध्यम से इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया था।
- 25 सितंबर 1917 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा, 'इस तरह की संकट की स्थिति में तो यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिये। जिस तरह की गंदगी और स्थिति इन डिब्बों में है उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करती है।'
- वर्ष 1920 में गांधीजी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था, इसलिये वहाँ शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगाया जाता था।
- गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीणों को अपने आसपास और गाँव को साफ रखते हुए स्वच्छता का माहौल विकसित करने की तुरंत जरूरत के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।

गांधी और सर्वोदय

- सर्वोदय शब्द का अर्थ है 'सार्वभौमिक उत्थान' या 'सभी की प्रगति'। गांधी जी का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' से प्रेरित था।
- सर्वोदय ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषणमुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले।
- सर्वोदय ऐसी समाज की रचना चाहता है जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का न तो संहार हो और न ही बहिष्कार हो।
- सर्वोदयी समाज की रचना ऐसी होगी, जो सर्व के निर्माण और सर्व की शक्ति से सर्व के हित में चले, जिसमें कम या अधिक शारीरिक सामर्थ्य के लोगों को समाज का संरक्षण समान रूप से प्राप्त हो और सभी तुल्य पारिश्रमिक के हकदार माने जाएँ।
- सर्वोदय शब्द गांधी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें 'सर्वभूतहिते रता:' की भारतीय कल्पना, सुकरात की 'सत्य-साधना' और रस्किन की 'अंत्योदय की अवधारणा' सब कुछ सम्मिलित है। गांधीजी ने कहा था " मैं अपने पीछे कोई पंथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ।" यही कारण है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन, तथा संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है।

गांधी और पर्यावरण

- 20वीं सदी का आरंभ दुनियाभर में पर्यावरण को लेकर जागरुकता से हुई थी। प्रत्येक आंदोलन के अलग राजनीतिक विचार और सक्रियता थी, तथापि इन सभी आंदोलनों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी अहिंसा और सत्याग्रह का गांधीवादी दृष्टिकोण ही था।
- पर्यावरण सुरक्षा गांधीवादी कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष एजेंडा नहीं था। लेकिन उनके अधिकांश विचारों को सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा सकता है। हरित क्रांति, गहन पर्यावरण आंदोलन आदि ने गांधीवादी विचारधारा के प्रति कृतज्ञता स्वीकार की। आश्रम संकल्प (जिन्हें गांधी जी के ग्यारह संकल्पों के रूप में जाना जाता है) ही वे सिद्धांत हैं जिन्होंने गांधी की पर्यावरण संबंधी विचारधारा की नींव रखी थी।
- गांधी का स्वदेशी विचार भी प्रकृति के खिलाफ आक्रामक हुए बिना, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सुझाव देता है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की निंदा की। गांधी ने कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित एक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का आह्वान किया। भारत के लिये गांधी की दृष्टि प्राकृतिक संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग पर आधारित है, न कि प्रकृति, जंगलों, नदियों की सुंदरता के विनाश पर।
- उनका प्रसिद्ध कथन "पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं" दुनिया भर के पर्यावरणीय आंदोलनों के लिये एक उपयोगी नारा है।

वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता

- महात्मा गांधी की शिक्षाएँ आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं जब कि लोग अत्याधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
- प्रकृति को गांधीवादी नज़रिये से देखने पर वैश्विक तापन जैसी समस्याएँ कम हो सकती हैं, क्योंकि इस समस्या की जड़ उपभोक्तावाद ही है। गांधीवादी दर्शन में ज़रुरत के मुताबिक ही उपभोग की बात की है।
- लोक कल्याणकारी के रूप में राज्य की भूमिका गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत से प्रभावित है।
- सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिये सभी धर्मों-विचारधारों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद ज़रूरी हैं।
- 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वाइत्ज़र, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग (जू.), आंग सान सू की, पोलैंड के लेख वालेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अपने इलाकों, देशों में परिवर्तन लाए।

निष्कर्ष

ध्यातव्य है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी को पर्यावरण क्षरण, स्वच्छता में कमी तथा उपभोक्तावादी जीवनशैली जैसे कारकों का परिणाम माना जा सकता है। गांधीवादी दृष्टिकोण ने सर्वथा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ज़रुरत के अनुसार ही उपभोग, आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज़ोर दिया। इस संकट काल में गांधी के विचारों की महत्ता एक बार फिर स्थापित होती है। इस महामारी ने एक अवसर प्रदान किया है कि हमें अपनी खाद्य श्रृंखला में बदलाव करते हुए गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है।

प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा

संदर्भ

दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders) ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत दो पायदान नीचे खिसक गया है। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत जहाँ पिछले वर्ष 140वें पायदान पर था, वहीं इस वर्ष 142वें पायदान पर आ गया है। हालाँकि भारत के पिछड़ने का यह सिलसिला कई वर्षों से जारी है। वर्ष 2016 में भारत जहाँ 133वें स्थान पर था, वहीं 2017 में 136वें, 2018 में 138वें, 2019 में 140वें और अब 2020 में 142वें पायदान पर है। वर्ष 2014 में 140वें पायदान पर होने के बाद वर्ष 2016 में 133वें पायदान पर आना प्रेस की आज़ादी के लिये एक शुभ संकेत ज़रूर था लेकिन उसके बाद भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट से सवाल खड़े होने स्वाभाविक हैं।

दरअसल 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने भारत के प्रति जो गंभीर चिंताएँ ज़ाहिर की हैं उन पर भी गौर करने की ज़रुरत है। रिपोर्ट इस बात का जिक्र करती है कि वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू लगाया गया, देश में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ, यहाँ पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी हमले हुए। इस प्रकार के कार्यों को ही भारत के रैंकिंग में पिछड़ने की वजह बताया गया है।

ऐसे में यह प्रश्न उठना ज़रूरी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस तरह कमज़ोर क्यों हो रहा है? एक ऐसे देश में जहाँ सैकड़ों न्यूज़ चैनल और हज़ारों समाचार पत्र काम कर रहे हों, वहाँ पत्रकारिता का कमज़ोर होना कितना सही है? वे कौन सी ताकतें हैं जो इसे कमज़ोर बना रही हैं या मीडिया की स्थिति में गिरावट में उनकी कितनी भूमिका है? इस आलेख में उपर्युक्त प्रश्नों पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' नामक गैर-लाभकारी संस्था वर्ष 2002 से ही वार्षिक रूप से यह सूचकांक जारी करती आ रही है। यह दुनिया भर के देशों में प्रेस की आज़ादी के स्तर का पता लगाने का काम करती है।

नोट :

- यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया के स्वतंत्रता, मीडिया के लिये वातावरण और स्वयं-सेंसरशिप, कानूनी ढाँचे, पारदर्शिता के साथ-साथ समाचार और सूचना के लिये मौजूद बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है।
- मौजूदा सूचकांक की बात करें तो नार्वे को पहला, फिनलैंड को दूसरा तथा डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला है, जबकि उत्तर कोरिया को अंतिम पायदान पर जगह मिली है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 180 देशों में से महज़ 24 प्रतिशत देश ऐसे हैं जहाँ पत्रकारिता की स्थिति अच्छी या संतोषजनक है जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा 26 प्रतिशत था। इसी तरह पत्रकारिता के लिहाज़ से 37 प्रतिशत देशों को समस्याग्रस्त, 29 प्रतिशत देशों को कठिन परिस्थिति और 11 प्रतिशत देशों को बेहद गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है।
- अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार की रैंकिंग भारत से बेहतर बताई गई है जबकि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की स्थिति भारत से खराब है।
- सूची में भूटान 67वें, अफगानिस्तान 122वें, श्रीलंका 127वें, और म्यांमार 139वें पायदान पर है, जबकि चीन 177वें, बांग्लादेश 151वें और पाकिस्तान 145वें पायदान पर है।
- भारत को इस सूचकांक में 45.33 अंकों के साथ 142वाँ स्थान हासिल हुआ है जबकि वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders)

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है।
- इसका मुख्यालय पेरिस में है।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया।

प्रेस की आज़ादी में आ रही कमी के मूल कारण

- पिछले एक दशक में जिस तरह प्रेस की आज़ादी में कमी आई है उससे यह पता चलता है कि प्रेस की आज़ादी का आकलन जिन संकेतकों पर किया जाता है उनकी स्थिति दिनोंदिन बिगड़ रही है।
- इसलिये ज़रूरी है कि इन संकेतकों पर ही गौर किया जाए।
- अगर बहुलवाद के स्तर की बात करें तो इससे मीडिया में अपने विचारों को प्रस्तुत करने की सीमा का पता चलता है लेकिन हाल के दिनों में मीडिया पर ईमानदारी से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगते रहे हैं। इसे ज़रूरी मुद्दों की बजाय गैर-ज़रूरी मुद्दों पर बात करने की मीडिया की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है।
- मीडिया के लिये वातावरण और स्वयं-सेंसरशिप की बात की जाए तो स्थिति चिंताजनक है। बीते वर्षों में पत्रकारों की हत्या, उन पर हुए जानलेवा हमले आदि का कारण उनकी पेशेवर रिपोर्टिंग ही है। इसलिये बहुत संभव है कि पत्रकारों में डर का माहौल होने की वजह से उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। ऐसे में न केवल खोजी पत्रकारिता की भावना खत्म जो जाती है बल्कि डर के वातावरण के कारण सच को छुपाने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसे में मुख्यधारा की मीडिया में स्वयं ही अपने ऊपर सेंसरशिप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
- हालाँकि कानूनी ढाँचे की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता पर नियंत्रण करने के लिये वर्तमान में कोई ठोस कानून तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कानूनों में प्रेस पर नियंत्रण के प्रावधान ज़रूर हैं।
- हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (Official Secrets Act- OSA)के तहत 'द हिंदू' समाचार पत्र पर कार्रवाई की बात इसी का एक उदाहरण है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरकारें परदे के पीछे से भी प्रेस को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं जिसके कारण मीडिया सरकारों की आलोचना करने से परहेज़ करता है।
- हालिया वर्षों में मीडिया पर जनसरोकार के मुद्दों को प्रकाश में लाने की बजाय सरकार का पक्ष लेने के भी आरोप लगते रहे हैं। इसलिये संभव है कि सरकारी तंत्र के दबाव में होने की वजह से मीडिया का यह स्वरूप सामने आ रहा है।
- प्रेस से संबंधित बुनियादी ढाँचे की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। खबरों की रिपोर्टिंग करने के लिये जिन संसाधनों की ज़रुरत होती है उन्हें पत्रकारों को मुहैया न कराया जाना एक बड़ी समस्या है।

- इसके अलावा, प्रेस की आज़ादी में मीडिया का निगमीकरण भी एक बड़ी रुकावट है। ज़्यादातर मीडिया हाउसेज़ के कमान अब उद्योगपतियों के हाथों में चले जाने से सच्ची पत्रकारिता के बजाय अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना प्रेस की प्राथमिकता हो गई है। इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है वह मीडिया आज पूंजीपतियों का हिमायती बनता दिख रहा है।

मीडिया विनियमन हेतु न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा-निर्देश

- रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता: सत्यता और संतुलन बनाए रखना टी.वी समाचार चैनलों का उत्तरदायित्व है।
- तटस्थता सुनिश्चित करना: टी.वी समाचार चैनलों को किसी भी विवाद या संघर्ष में सभी प्रभावित पक्षों, हितधारकों और अभिकर्ताओं से समानता का व्यवहार कर तटस्थ रहना चाहिये ताकि वे अपना विचार प्रस्तुत कर सकें।
    - अपराध और सुरक्षा उपायों पर रिपोर्टिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अपराध और हिंसा का महिमामंडन न किया जाए।
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न का चित्रण: समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी महिला, बालिका या किशोर, जो यौन हिंसा, आक्रामकता, आघात से पीड़ित है अथवा इसका साक्षी रही/रहा है, को टी.वी पर दिखाने के दौरान उनकी पहचान को उजागर न किया जाए।
- निजता का सम्मान करना: चैनल को व्यक्तियों के निजी जीवन या व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के नियम का पालन करना चाहिये, जब तक कि इस तरह के प्रसारण के स्पष्ट रूप से स्थापित वृहद और अभिज्ञेय सार्वजनिक हित न हों।

आगे की राह

- सर्वप्रथम मीडियाकर्मियों के कामकाज की दशा को बेहतर करने की ज़रुरत है। उन्हें सेवा की सुरक्षा देना, मीडिया की आज़ादी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है।
- साथ ही मीडिया हाउसेज़ के मालिकों को राजनीतिक सुख भोगने की लालसा त्यागने की ज़रुरत है। वर्तमान में कई संपादक या मीडिया हाउस के मालिक संसद सदस्य बने हुए हैं।
- इसके अलावा, सरकार को चाहिये कि वह प्रेस के लिये ज़्यादा-से-ज़्यादा आज़ादी का वातावरण सुनिश्चित करे। हालिया वर्षों में मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ सत्ताधारी दलों द्वारा न्यायालयों में जाना चिंता का विषय रहा है।
- हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिये कि देश की आज़ादी में प्रेस द्वारा जागृत जनमत और जागरूकता का अहम् योगदान रहा है। अगर प्रेस के ज़रिये ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ को मुखर न किया गया होता तो आज़ाद हवा में साँस लेने के लिये हमें शायद और इंतज़ार करना पड़ता।
- इसलिये सरकार को लोकतंत्र की मज़बूती हेतु प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करने की ज़रुरत है ताकि भारत का लोकतंत्र हर मायने में एक कामयाब लोकतंत्र की छवि हासिल कर सके।

पंचायती राज व्यवस्था और गांधी दर्शन

संदर्भ

भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के ग्राम प्रधानों के साथ पंचायती राज के महत्त्व व कोरोना वायरस के रोकथाम में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई। पंचायती राज व्यवस्था का विहंगावलोकन करने से ज्ञात होता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1992 है जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर (Top to Bottom) की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर (Bottom to Top) की ओर हो।

पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिये वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्ज़ा दिया गया। भारत में पंचायती राज के गठन व उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। गांधी जी के शब्दों में-

"सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।"

इस आलेख में पंचायती राज व्यवस्था की त्रि-स्तरीय संरचना, उसकी पृष्ठभूमि, विभिन्न समितियाँ तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायतों के संदर्भ में गांधी दर्शन की उपयोगिता समझने का प्रयास किया जाएगा।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में अपना योगदान दे सके।
- स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी।

पृष्ठभूमि

- 'लॉर्ड रिपन' को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1993) के अध्ययन के लिये 'बलवंत राय मेहता समिति' का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया।
- वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
- वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त हुआ।
- भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।

पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- अशोक मेहता समिति (1977)
- जी. वी. के राव समिति (1985)
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएँ

- इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था।
- मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।
- ग्राम सभा गाँव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करें।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई।

नोट :

- पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो।
- संविधान का अनुच्छेद 243 (घ) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये सीटों को आरक्षित किये जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ के आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं होगी।

पंचायतों का कार्यकाल

- पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिये नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिये जाने चाहिये।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएँ

- भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग 9 क' जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ।
- अनुच्छेद 243त (243P) से 243यछ (243ZG) तक नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किये गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) में नगरपालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध हैं, जो इस प्रकार हैं-
    - नगर पंचायत- ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है, जो गाँव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं।
    - नगरपालिका परिषद- छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है।
    - नगर निगम- बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित की जाती है।
- इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।
- नगरपालिका की सभी सीटों को नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा।
- प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- आरक्षित सीटों की संख्या एक-तिहाई से कम नहीं होगी।
- राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस इत्यादि को उचित तरीके से एकत्र करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन

- गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गाँव में ही बस गये थे। गाँव की जरुरतें पूरी करने के लिये उन्होंने अनेक संस्थायें कायम की थीं और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया।
- उनका दृढ़ विश्वास था कि गाँवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गाँवों को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसे समझकर ही वे ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे।
- इसलिये संविधान में अनुच्छेद-40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था की गई।
- गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारंभ में ही उनके हाथों में दण्डकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पडऩे के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिये ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है, जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह न लगे।
- प्रारम्भ में यह आवश्यक है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जाए। गाँवों में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है।
- गांधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग किये जाने से था।

- गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सदभाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह संस्था गाँव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है।

पंचायती राज्य की सफलता में चुनौतियाँ

- पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मज़बूत आधार नहीं है उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है।
- कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है।
- कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
- क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं।
- इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय

- पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये। पंचायती राज संस्थाएँ खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की ज़रुरत है।
- पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिये जाएँ और बजट आवंटन के साथ ही समय-समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकार द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है।
- महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक-से-अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके।
- पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिये।
- पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिये तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरस्कृत करना चाहिये।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा: विशेषताएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

पिछले तीन दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किये हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारंपरिक श्यामपट तथा खड़िया मिट्टी (चॉक) के दौर से गुजरते हुए इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्टबोर्ड ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी (चॉक) का स्थान ले लिया है। इंगित करने के लिये इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेज़र पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं।

शिक्षा में दृश्यश्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिये टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर-तरीकों में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा अब तेज़ी से ई-शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है।

इस आलेख में ई-शिक्षा की बढ़ती भूमिका, उसकी विशेषताएँ तथा इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों पर विमर्श किया गया है।

ई-शिक्षा से क्या तात्पर्य है ?

- ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है।
- ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई-शिक्षा की अवधारणा आई थी, तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई-शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है।

ई-शिक्षा के प्रकार

- ई-शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
  - सिंक्रोनस (Synchronous)
  - असिंक्रोनस (Asynchronous)
- सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था- इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि 'एक ही समय में' अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग-अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई-लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटीरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस ई-शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
- असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था- इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि 'एक समय में नहीं' अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिये वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्युटोरिअल्स, ई-बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई-शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय, जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है।

भारत में ई-शिक्षा की स्थिति

- ई-शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिये पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुत: अभी भारत में ई-शिक्षा अपने शैशवावस्था में है।
- ई-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विभिन्न ई-लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीक विकसित करने पर बल दे रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ई-शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिये पाठ्य सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पहल, मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाएँ और संकाय प्रशिक्षण पहल शामिल हैं।
- वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, भारत में ई-शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाज़ार तैयार होने की संभावनाएँ हैं। बड़ी संख्या में नए उपयोगकर्त्ता इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ई-शिक्षा तक पहुँच रहे हैं।

ई-शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास

- स्वयं (SWAYAM)
  - स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9वीं- 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
  - अब तक SWAYAM पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज़ (Massive Open Online Courses- MOOC) बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है।

नोट :

- ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर-छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है।
- NCERT कक्षा IX-XII तक के लिये 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (Massive Open Online Courses- MOOCs) का मॉड्यूल विकसित कर रहा है।

- स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha)
  - यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
  - इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है।
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूरदराज़ के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library)
  - भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India-NDL) एक एकल-खिड़की खोज सुविधा (Single-Window Search Facility) के तहत सीखने के संसाधनों के आभाषी भंडार का एक ढाँचा विकसित करने की परियोजना है।
  - इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं।
  - लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है।
- स्पोकन ट्यूटोरियल (Spoken Tutorial)
  - छात्रों की रोज़गार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं।
  - यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है।
  - स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- शिक्षा के लिये नि:शुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (Free and Open Source Software for Education)
  - यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है।
  - इसमें शिक्षण कार्य, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।
  - इस परियोजना में लगभग 2,000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है।
- वर्चुअल लैब (Virtual Lab)
  - इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आँकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरेक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (Interactive Simulation Environment) विकसित करना है।
  - महत्त्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है।
  - इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएँ संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही हैं।
- ई-यंत्र (e-Yantra)
  - यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम (Embedded Systems) और रोबोटिक्स (Robotics) पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है।
  - शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।

नोट :

- NCERT द्वारा ई- रिसोर्सेज़ (eResources जैसे ऑडियो, वीडिओ इंटरएक्टिव आदि) के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल्स के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। उदाहरण के लिये- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM), ई- पाठशाला (ePathshala), नेशनल रिपोज़िटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ (NROER) और मोबाइल एप्लीकेशंस।

ई-शिक्षा की विशेषताएँ

- ई-शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है।
- ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटीरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते है और बार-बार देख कर इसके जटिल पहलूओं को समझ सकते हैं।
- ई-शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक कम लागत वाली होती है। क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटीरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
- ई-शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित एप व पोर्टल पर स्टोर किया जाता है। जिससे कागज़ के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है।
- ई-शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
- ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

ई-शिक्षा की राह में चुनौतियाँ

- बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई-शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं।
- छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।
- खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं।
- भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई-शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।
- वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो ई-शिक्षा में रुकावट बन सकती है।

आर्थिक घटनाक्रम

खाद्य प्रणाली: बदलाव की आवश्यकता

संदर्भ

कोरोना वायरस हमारे लिये एक अवसर के रूप में है कि हम अपने खाद्य प्रणाली का विश्लेषण करना चाहिये। कोरोना वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है अर्थात इसका स्थानांतरण स्वाभाविक रूप से कशेरुकीय जानवरों से मनुष्यों में होता है। यह सर्वविदित है कि इस वायरस के प्रसार का केंद्र चीन के वुहान स्थित 'सी फूड मार्केट'(Sea Food Market) ही है। इससे पूर्व वर्ष 2002 में सार्स-CoV-2 के प्रसार का केंद्र चीन के वुहान स्थित सी फूड मार्केट ही था। सार्स-CoV-2 वायरस के प्रसार का कारण सीवेट बिल्लियाँ थी, जिनके मांस के भक्षण के कारण यह वायरस मानव में स्थानांतरित हुआ। एचआईवी और इबोला वायरस के बारे में भी ऐसे ही सिद्धांत प्रचलित हैं।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन(Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) का भी यही मानना है कि यदि शाकाहार के बदले मांसाहार का वर्चस्व बना रहा, तो विश्व की बढ़ रही जनसंख्या की आहार समस्या वर्ष 2050 तक और भी विकराल हो जायेगी।

इस आलेख में खाद्य श्रृंखला में बदलाव की आवश्यकता के साथ पशुपालन के तौर-तरीकों में बदलाव और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बताए दिशा-निर्देशों पर भी विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक रूप से ऐसी कई घटनाएँ प्रकाश में आई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ज़ूनोसिस संक्रमण की वजह से वैश्विक महामारी की स्थिति पूर्व में कई बार निर्मित हुई हैं।
- यदि आँकड़ो पर नज़र डाले तो निम्नलिखित ज़ूनोसिस संक्रमण संबंधी बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है-
  - जस्टीनियन प्लेग (Justinian Plague): 541-542 AD में चिह्नित
  - द ब्लैक डेथ (The Black Death): वर्ष 1347 में यूरोप में देखा गया।
  - यलो फीवर (Yellow Fever): 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में देखा गया।
  - वैश्विक इन्फ्लूएंज़ा महामारी या स्पेनिश फ्लू (Spenish Flu): वर्ष 1918
- आधुनिक महामारियाँ जैसे- एचआईवी/एडस, सार्स और H1N1 इन्फ्लूएंज़ा में एक लक्षण समान है कि इन सभी मामलों में वायरस का संचरण पशुओं से मानव में हुआ।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व में नई उभरती संक्रामक बीमारियों में 60% बीमारियों का कारण ज़ूनोसिस संक्रमण होता है।
- पिछले तीन दशकों में 30 से अधिक नए मानव रोगाणुओं में से 75% का संक्रमण जानवरों से हुआ।

भारतीय पशुपालन व्यवस्था

- वर्तमान में, पशुधन विकासशील देशों में सबसे तेजी से बढ़ते कृषि उप-क्षेत्रों में से एक है। कृषि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 33% से अधिक है और तेजी से बढ़ रही है।
- खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है, भैंस के माँस का सबसे बड़ा उत्पादक है और सालाना लगभग 100 बिलियन अंडे का उत्पादन करता है।

खाद्य और कृषि संगठन

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।

- खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है।
- पशुधन लागत को कम करते हुए उत्पादन को अधिकतम करने के तथा बड़ी औद्योगिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।
- इसे गहन पशु खेती या औद्योगिक पशुधन उत्पादन या कारखाना खेती (factory farming) के रूप में जाना जाता है।
- एग्रीबिजनेस में मवेशी, मुर्गी, और मछली जैसे पशुधन को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता है। इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स और टीकों की खोज ने पशुओं में होने वाली बीमारी को कम करके पशुधन को बड़ी संख्या में बढ़ाने में योगदान किया है। पशुधन की अत्यधिक संख्या और सीमित स्थान के कारण पशुओं में विभिन्न रोगों का संक्रमण भी देखा जा रहा है।

संबंधित चिंताएँ

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध और स्वास्थ्य जोखिम:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कृषि कार्य में लगे जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं की बड़ी मात्रा ने रोगाणु प्रतिरोधी बैक्टीरिया को समाप्त कर दिया है जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। ऐसे पशु किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - यदि इन पशुओं के मांस या अन्य उत्पादों का सेवन मानवों द्वारा किया जाता है तो संभव है कि पशुओं में मौजूद वायरस या बैक्टीरिया मानवों में स्थानांतरित हो जाए।
  - भारत में अधिकांश मीट विक्रेता भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पशुओं को रखने और वध करने के मानकों और विनियमों को दरकिनार कर देते हैं, जिससे पशु उत्पाद किसी संक्रमण के वाहक बन जाते हैं।
  - ऐसे पशु जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें उचित सुरक्षा मानकों की कमी के कारण संक्रमण होने की संभावना होती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है।
- FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की भी जाँच करता है।
- पर्यावरण प्रदूषण:
  - पशु फार्मों और बूचड़खानों से निकलने वाला कचरा जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, जिससे यूट्रीफिकेशन की समस्या गहराती जा रही है।
  - औद्योगिक पशु खेती का पर्यावरणीय प्रभाव मानव स्वास्थ्य को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
  - कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का एक बड़ा कारण पशुपालन है। यह मीथेन गैस के उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से के लिये जिम्मेदार है, जिसमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है।
  - अस्थिर पशुपालन की व्यवस्था जलवायु परिवर्तन की समस्या में योगदान दे रहा है।
- पशुओं का कल्याण:
  - सघन पशुधन कृषि में पशु कल्याण चिंता का विषय है। दुधारू पशुओं में दुग्ध की क्षमता को बढ़ाने के लिये पशुओं को हार्मोन वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
  - पशुओं के चारे का भी बेहतर इंतजाम नहीं हो पाता है, जिससे वे अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं।

नोट :

चिंताओं का समाधान: प्लांट (संयंत्र) आधारित खाद्य पदार्थ

- भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर बहुत अधिक है और माँस उत्पादन को प्रोत्साहित करके इसका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है।
- इसके लिये भारत को प्लांट और संवर्धित मीट के पीछे की संभावनाओं का पता लगाना चाहिये। प्लांट-आधारित मीट पौधों से बने होते हैं और कोलेस्ट्रॉल- और एंटीबायोटिक-मुक्त होते हैं, जबकि इनका स्वाद पशु के माँस के भांति ही होता है।
- संवर्धित माँस पशु कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना लेकर और उन्हें पशु के बाहर प्रतिकृति करके उत्पादित किया जाता।
- ये खाद्य पदार्थ कुपोषण, किसानों की कम आय जैसी समस्याओं को हल करने के लिये एक बेहतर अवसर का सृजन करते हैं।
- पशुधन आधारित खाद्य पदार्थ के सेवन से संक्रामक बीमारियों के प्रसार के कारण विभिन्न देश प्लांट-आधारित खाद्य पदार्थ के सेवन का विकल्प चुन रहे हैं।
- पशु-आधारित खाद्य पदार्थ प्लांट-आधारित खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक संसाधन-गहन हैं।
- विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि पशुपालन को प्लांट-आधारित खाद्य पदार्थों के उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- पश्चिमी देशों में प्लांट-आधारित मीट पहले से ही लोकप्रिय हैं।
- भोजन की बढ़ती मांग और प्रति व्यक्ति संसाधन के आधार में कमी को देखते हुए, खाद्य उत्पादन में उच्च दक्षता की आवश्यकता है, जिसे पशु-आधारित खाद्य पदार्थ पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
- पशु आधारित खाद्य पदार्थों में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि प्लांट-आधारित पदार्थों में जल की कम आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- औद्योगिक पशुपालन से जुड़ी चिंताओं और इसे बदलने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, प्लांट आधारित पशुधन कृषि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- प्लांट आधारित माँस व अन्य खाद्य पदार्थों से कुपोषण, भूमि की कमी और बूचड़खानों की समस्याओं को हल करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है।
- भारत की एक स्वास्थ्य नीति पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के बीच अंतर्संबंध को सही रूप से पहचानती है और इस दिशा में उचित कदम उठा रही है।
- समय के साथ पशुधन आधारित माँस व अन्य उत्पादों के सेवन में निरंतर कमी लाने की आवश्यकता है।
- 'सस्टेनेबल एनिमल फार्मिंग' में पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण विकसित करना, बेहतर उत्पाद तैयार करना, किसानों के लिये जीवन निर्वाह करना और पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव को सुनिश्चित करना शामिल है।
- वैश्विक लॉकडाउन के कारण, जंगली पशुओं का आवागमन शहरों की ओर हुआ है तथा प्रदूषण के स्तर में भी वैश्विक रूप से गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में हमें उन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो हमें पर्यावरणीय दृष्टि से समावेशी जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता करती हैं तथा जिनका प्रयोग कर हम एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

कृषि व्यवस्था: अवमंदन से बचाव का बेहतर विकल्प

संदर्भ

यह सर्वविदित है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन की व्यवस्था उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम है, परंतु यह भी सत्य है कि लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ रोक दी गई हैं। परिणामस्वरूप अब यह आशंका बलवती हो गई है कि भारत सहित विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ अवमंदन/मंदी की ओर बढ़ रही हैं। जहाँ एक ओर लगभग विश्व के सभी देश कोरोना वायरस से बचाव संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं वहीं दूसरी ओर अब इन देशों के समक्ष अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने की दोहरी चुनौती है।

ऐसे में प्रत्येक देश अपने स्तर पर अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिये प्रयासरत हैं। भारत के लिये विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में आई मंदी का मुकाबला करने के लिये कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ इसके आधुनिकीकरण की वकालत की है। ध्यातव्य है कि भारत में मंदी की यह स्थिति अधिक चिंताजनक है क्योंकि पूर्व में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई थी। जो स्पष्ट रूप से मंदी का संकेत दे रहा था।

इस आलेख में आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी के प्रमुख संकेतकों के साथ भारत की मौजूदा कृषि स्थिति व उससे संबंधित चुनौतियों पर विमर्श किया जाएगा साथ ही मंदी के प्रभाव को सीमित करने वाले संभावित विकल्पों का विश्लेषण भी किया जाएगा।

आर्थिक मंदी से तात्पर्य

- सामान्य शब्दों में आर्थिक मंदी से तात्पर्य उस स्थिति से है जब अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर नकारात्मक हो तो उसे मंदी की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में मांग में कमी आती है, मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है, साथ ही रोज़गार में कमी होती है तथा बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।

आर्थिक मंदी के प्रमुख संकेतक

- उपभोग में कमी- आर्थिक मंदी का एक बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत यानी उपभोग कम कर देते हैं। इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीजों के साथ-साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है।
- औद्योगिक उत्पादन में गिरावट- अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे। इसमें निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता। औद्योगिक मिलों और फैक्ट्रियों में ताले लग जाते हैं, क्योंकि बाजार में मांग घट जाती है।
- बेरोज़गारी दर में वृद्धि- अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोज़गार के अवसर घट जाते हैं। उत्पादन न होने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती है, बिक्री ठप पड़ जाती है। इसके चलते कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करने लगती हैं। परिणामस्वरूप बेरोज़गारी दर में वृद्धि हो जाती है।
- बचत और निवेश में कमी- मंदी के दौर में निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोगों की आमदनी सीमित हो जाती है। इस स्थिति में उनकी क्रय करने की क्षमता घट जाती है और वे बचत भी कम कर पाते हैं। इससे बाज़ार में तरलता घट जाती है।
- शेयर बाजार में गिरावट- शेयर बाजार में उन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं, जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ रहा होता है। यदि कंपनियों के मुनाफे का अनुमान लगातार कम हो रहे हैं और वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहीं, तो इसे भी आर्थिक मंदी के रूप में ही देखा जाता है।

भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोज़गार अवसरों के लिये कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है।
- आँकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्द्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5 प्रतिशत हो गया है, जिसे विकास प्रक्रिया का स्वभाविक परिणाम माना जा सकता है।
- देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिये पशुधन आय का दूसरा महत्त्वपूर्ण साधन है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। बीते 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र 7.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है, किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.15 प्रतिशत ही है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए है।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समस्याएँ

- पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही है जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।
- विगत पचास वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद, भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आँकड़े अभी भी निराशाजनक हैं।

नोट :

- लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव, कृषि में प्रच्छन्न रोज़गार और वैकल्पिक उपयोगों के लिये कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण (Land Holding) में भारी कमी देखी गई है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टेयर था जो वर्ष 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995-96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था।
- उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिये बीज एक महत्त्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही महत्त्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुँच ही नहीं पाते हैं।
- स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर स्थिति में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिये स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये हुए लॉकडाउन के कारण वर्तमान में कृषि गतिविधियाँ पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं।
- खेतों में खड़ी फसल को काटने के लिये मजदूरों का अभाव है जिससे किसान फसलों को कटवाने में असमर्थ हैं।
- यदि किसी प्रकार फसल कट गई है तो भी परिवहन के साधन न होने के कारण वह मंडियों तक नहीं पहुँच पा रही है।

आर्थिक मंदी को दूर करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका

- विदित है कि भारत में लगभग 55 प्रतिशत लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं। ऐसे में यदि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियाँ को छूट प्रदान की जाती है तो कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों के समक्ष रोज़गार की समस्या दूर हो जाएगी।
- कृषि संबंधी गतिविधियों के प्रारंभ होने से कच्चे उत्पादों पर निर्भर उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारंभ किया जा सकता ताकि सीमित मात्रा में ही सही उत्पादन किया जा सके।
- दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से कृषि की एक-तिहाई आय होती है। पशुओं के आहार और दवाइयों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को भी निर्बाध रूप से चलाना होगा। इससे डेयरी उद्योग का संचालन संभव जो सकेगा।
- उन कृषि उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिये जिन्हें हम अन्य देशों में निर्यात कर सकते हैं।
- कृषि उत्पादों में उत्पादन बढ़ने के साथ ही इससे संबंधित कंपनियाँ भी व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ कर सकती हैं, जिससे शेयर मार्केट में गिरावट की दर में कमी आयेगी।
- कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योगों के संचालन से कई लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, जिससे बचत और निवेश की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है।
- फसलों का भुगतान अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से किया जाए ताकि किसानों को उनकी उपज़ का मूल्य शीघ्र प्राप्त जो जाए। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है।
- कृषि समावेशी विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो।
- पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में सरकारी व निज़ी निवेश में वृद्धि की जाए। निवेश में वृद्धि के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि संभावित है।

निष्कर्ष

निश्चित ही वैश्विक लॉकडाउन के कारण मंदी की स्थिति और गंभीर हो गई है, परंतु समन्वित प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बल पर हम आर्थिक मंदी का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को मुद्रा का हस्तानांतरण कृषि गतिविधियों में जान फूँक सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

वैश्विक महामारी: भारत और खाड़ी देश

संदर्भ

इस समय खाड़ी क्षेत्र कई झंझावातों के केंद्र में है। जहाँ एक ओर COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रसार ने मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वहीँ दूसरी ओर कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट से खाड़ी देशों पर दोहरी मार पड़ रही है। इस दोहरे खतरे को संतुलित करने के लिये समन्वित व सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन काल से ही खाड़ी देशों के साथ महत्त्वपूर्ण संबंध रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के न केवल व्यापारिक संबंध रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक व राजनैतिक संबंध भी रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं। चूँकि इस समय खाड़ी देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिये इन देशों में कार्यरत भारतीय लोगों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने खाड़ी देशों के साथ सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत अपनी ज़रूरत का 65 प्रतिशत गैस और कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही प्राप्त करता है। खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख प्रवासी भारतीय निवास करते है जो लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत को भेजते हैं।

इस आलेख में भारत व खाड़ी देशों के मध्य संबंधों की पृष्ठभूमि पर विमर्श करने के साथ ही विभिन्न चुनौतियों और खाड़ी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति की समीक्षा करने का भी प्रयास किया जाएगा।

खाड़ी देशों का इतिहास

- सामान्यत: जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो मुख्य रूप से कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। ये 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC) के संस्थापक सदस्य हैं।
- इन सभी देशों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है, इसलिये इन देशों को सामूहिक रूप से खाड़ी देश के रूप में जाना जाता है।
- विदित है कि ईरान व ईराक की भी सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है और खाड़ी देशों में इनकी गिनती होती है, परंतु दोनों ही देश सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कारणों से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं बन पाएँ हैं।

क्या है खाड़ी सहयोग परिषद ?

- खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- वर्ष 1981 में स्थापित, GCC छह देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है और सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।
- सुरक्षा विशेषज्ञों ने खाड़ी सहयोग परिषद को 'अरब नाटो' की संज्ञा दी है।
- खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।
- खाड़ी सहयोग परिषद के कार्य संचालन की भाषा 'अरबी' है।
- वर्ष 2019 में खाड़ी सहयोग परिषद का 40वाँ शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

खाड़ी देशों की चुनौतियाँ

- वैश्विक लॉकडाउन के कारण हाइड्रोकार्बन की खपत में कमी आ गई है।
- गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन के बाद कच्चे तेल के उपभोग में प्रतिदिन 28 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज़ की गई है।
- कच्चे तेल की मांग में अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पादन कम करने को लेकर तेल उत्पादक देशों के संगठन और रूस के मध्य हो रही वार्ता विफल हो गई, परिणामस्वरूप मांग में कमी व उत्पादन जस का तस बना रहने के कारण कच्चे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट हुई।

नोट :

- तेल उत्पादक देशों के संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी के आकलन के अनुसार, वर्ष 2020 में दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणामों के साथ विकासशील देशों के तेल और गैस राजस्व में 50 प्रतिशत से 85प्रतिशत की गिरावट आएगी।
- वर्ष 2020 में सऊदी अरब का राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है।
- संयुक्त अरब अमीरात एक पर्यटन गंतव्य देश है, वैश्विक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में तीव्र गिरावट हुई है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार के कारण खाड़ी देशों में आयोजित होने वाले हज़ व उमरा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को भी स्थगित किया जा सकता है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 से ईरान व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है।

तेल निर्यातक देशों के संगठन-ओपेक

- OPEC एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन 10-14 सितंबर, 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला ने किया था।
- इन पाँच संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया, ये देश हैं- क़तर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), गैबन (1975), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)
- इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन अक्तूबर 2007 में वह पुन: OPEC में शामिल हो गया।
- इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी। जनवरी 2016 में यह फिर से इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ, लेकिन 30 नवंबर, 2016 को OPEC सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर इसने अपनी सदस्यता स्थगित करने का फैसला किया।
- गैबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी। हालाँकि, जुलाई 2016 में वह फिर से संगठन में शामिल हो गया।
- कतर ने 1 जनवरी, 2019 को और इक्वाडोर ने 1 जनवरी, 2020 को अपनी सदस्यता त्याग दी थी। अत: वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 13 है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है तथा इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से ही करता है।
- खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा भारतीय कामगार काम करते हैं। इन देशों में यह संख्या लगभग 90 लाख है। इन कामगारों के द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत को भेजी जाती है। अत: इस संकट से प्रेषण पर असर पड़ सकता है।
- इस वैश्विक संकट से उभरी परिस्थिति में नए कूटनीतिक तालमेल बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी।
- इस महामारी के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रह रहे कामगार भारत वापस आ जाएँगे, जिससे इन लोगों को अर्थव्यवस्था में समायोजित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- खाड़ी देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर वे बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को नौकरी से निकाल सकते हैं, जिससे उन देशों में निवास कर रहे लोगों की समक्ष जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
- ईरान इस वैश्विक महामारी से व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है, परिणामस्वरूप भारत द्वारा विकसित किये जा रहे चाबहार बंदरगाह के परिचालन में समस्या उत्पन्न होने के संभावना है।
- इस समय चीन द्वारा ही COVID-19 महामारी पर नियंत्रण पाया जा सका है, ऐसे में चीन द्वारा अपनी सॉफ्ट पॉवर का प्रयोग करते हुए खाड़ी देशों को पहुँचाई गई सहायता उसे अपेक्षाकृत इन देशों के नज़दीक ला सकती है।

भारत के लिये खाड़ी देशों का महत्त्व

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। यह एक वर्ष में भारत के द्वारा पूरे विश्व के साथ किये जाने वाले व्यापार का 20 प्रतिशत है।

नोट :

- लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयात की जाती है।
- खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं।
- सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है।
- भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता किया है।
- खाड़ी क्षेत्र हमारी विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है।
- जहाँ ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीं ओमान हमें पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने की राह दिखाता है।

भारत के लिये भावी अवसर

- भारतीयों के लिये भले ही इस समय खाड़ी देशों में नौकरी के अवसर कम हो रहे हों या भारत सरकार को यहाँ से विदेशी मुद्रा कम मिल रही हो, लेकिन इन देशों में अर्थव्यवस्था के बदलाव की प्रक्रिया भारत के लिये बड़ा मौका भी है।
- इन देशों ने दूसरे देशों में निवेश के लिये बड़े-बड़े फंड बनाए हैं। भारत पहला काम तो यही कर सकता है कि बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये खाड़ी देशों से ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करे।
- विजन-2030 के अंतर्गत सऊदी अरब की एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनने की भी योजना है। भारत अगर सऊदी अरब के इस लक्ष्य में सहयोगी बनता है और भारी निवेश हासिल कर पाता है तो इससे देश के बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क का कायाकल्प हो सकता है।
- सऊदी अरब व रूस के बीच वार्ता के विफल होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनी हुई है, इनके निकट भविष्य में ऊपर जाने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। यह ऐसा मौका है जब भारत अपना चालू घाटा कम कर सकता है और इससे जो बचत होगी उसे आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में लगाया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिये नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के साथ शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, भारत में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल के साथ-साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है।
- अंततः यदि भारत, खाड़ी सहयोग परिषद के मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल हो जाता है, तो निश्चित ही ऐसे झटकों से बचने के लिये भारत और खाड़ी देशों के आर्थिक संबंधों में पर्याप्त विविधता लाई जा सकती है।
- भारत को इस संकट से बाहर निकलने के बाद अपनी 'एक्ट वेस्ट नीति' को विस्तार देना चाहिये।

कोरोना बॉण्ड: अर्थव्यवस्था बचाने की मुहिम

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु विश्व के लगभग सभी देशों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लॉकडाउन की व्यवस्था को अमल में लाया गया है। लॉकडाउन के कारण देश के भीतर होने वाला या एक देश का दूसरे देश से होने वाला आर्थिक संव्यवहार पूरी तरह से ठप्प है, जिसके कारण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुज़र रही है। लोगों के समक्ष खाद्य और रोज़गार का संकट है। संकट के इस दौर में प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये विभिन्न वैकल्पिक साधनों को अपना रहे हैं। यूरोपीय संघ और यूरोज़ोन भी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये इन वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को लेकर तत्पर हैं। इन वैकल्पिक साधनों में सामूहिक ऋण प्रपत्र अर्थात कोरोना बॉण्डस प्रमुख हैं।

इस आलेख में अर्थव्यवस्था को संकट के इस दौर से निकालने के लिये जारी किये गए कोरोना बॉण्ड और उसकी कार्यप्रणाली तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ और हानि के बारे में विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये किये जाने वाले अन्य आर्थिक उपायों की भी समीक्षा की जाएगी।

बॉण्ड से तात्पर्य ?

- बॉण्ड एक ऋण निवेश प्रपत्र होता है। जो किसी देश की सरकार या कार्पोरेट कंपनी द्वारा निवेशकों के लिये जारी किये जाते हैं।
- सरकार या कंपनी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से बाज़ार से मुद्रा ऋण लेने के लिये बॉण्ड जारी करती है।
- बॉण्ड जारीकर्त्ता निवेशकों से ऋण में ली गई मुद्रा के बदले में निवेशकों को ऋण प्रपत्र के रूप में बॉण्ड जारी करता है।
- बॉण्ड जारीकर्त्ता निवेशक से एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित समय के लिये ऋण लेता है।
- सरल शब्दों में बॉण्ड जारीकर्त्ता परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर निवेशक की राशि को चुकाने का वायदा करता है और निर्धारित तिथि के लिये उधार ली गई राशि पर निवेशक को ब्याज का भुगतान करता है।

क्या है कोरोना बॉण्ड ?

- कोरोना बॉण्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण प्रपत्र होगा, जिसका उद्देश्य यूरोजोन देशों के कोरोना वायरस पीड़ितों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
- यह यूरोपीय संघ द्वारा सभी राज्यों के सामूहिक रूप से लिये गए ऋण के साथ यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा प्राप्त निधियों को पारस्परिक रूप से जोड़ा जाएगा और आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- कोरोनोवायरस महामारी ने यूरोज़ोन देशों के बीच संयुक्त रूप से स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ऋण जारी करने और पालन करने के लिये निर्धारित गहरी आर्थिक मंदी को दूर करने के बारे में एक तीक्ष्ण बहस को पुनर्जीवित किया है।
- यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले 19 देशों में से 9 देशों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।
- दूसरी ओर इस तरह के सामूहिक ऋण प्रपत्र के विचार, जिसे 'कोरोना बॉण्डस' कहा जाता है को जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इन देशों के समूह को फ्रूगल फोर (Frugal Four) कहते हैं।

यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक-दूसरे से कोई विवाद न करें क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
- यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएँ और एकजुट होकर एक व्यापार समूह का हिस्सा बनें।
- इसी व्यापार समूह की वज़ह से आगे चलकर वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। वर्ष 2004 में जब यूरो मुद्रा लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ।
- यूरोपीय संघ मास्ट्रिच संधि द्वारा बनाया गया था, जो 1 नवंबर, 1993 को लागू हुई थी।
- एकल बाज़ार सिद्धांत (Single Market Principle) अर्थात् किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ-जा सकते हैं एवं लोग बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ़ पीपल एंड गुड्स यूरोपीय संघ की खासियत है।

फ्रूगल फोर बनाम प्रो बॉण्डस विवाद

- यूरोज़ोन के 9 देशों ने एक सामूहिक ऋण प्रपत्र जारी करने का आह्वान किया था जिनमें स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस और स्लोवेनिया हैं।
- 9 देशों ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यूरोपीय संस्था द्वारा जारी किये गए एक सामूहिक ऋण प्रपत्र पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल देने की बात की।
- यूरोज़ोन के 9 देशों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र को स्वीकृति देने का निवेदन किया वहीँ यूरोज़ोन के अपेक्षाकृत रूप से संपन्न राष्ट्रों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र का विरोध किया।
- इन संपन्न राष्ट्रों का मानना है कि कोरोना बॉण्डस के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाएगा।

- जबकि सामूहिक ऋण प्रपत्र का समर्थन करने वाले देशों का मानना है कि जर्मनी, फिनलैंड आस्ट्रिया तथा नीदरलैंड जैसे देशों ने यूरोपीय संघ से सर्वाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया है, ऐसे में यह उन देशों का नैतिक कर्तव्य है कि वह इस संकट की घड़ी में यूरोज़ोन के अपेक्षाकृत कमज़ोर देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।
- सामूहिक ऋण प्रपत्र का समर्थन करने वाले देशों को प्रो बॉण्डस कंट्री कहा गया तो वहीँ इसका विरोध करने वाले देशों को फ्रूगल फोर कंट्री कहा गया।

यूरोपीय संघ द्वारा घोषित किये गए आर्थिक उपाय

- कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिये यूरोपीय संघ ने 540 बिलियन यूरो का आर्थिक पैकेज जारी किया है।
- यूरोपीय संघ ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोलने, यूरोपीय निवेश बैंक की उधार क्षमता बढ़ाने और यूरोपीय आयोग की 100 बिलियन यूरो की बेरोज़गारी बीमा योजना को लागू करने का भी निर्णय किया है।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अगले 9 महीनों में 750 बिलियन यूरो की राशि के साथ परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- यूरोपीय संघ ने संपन्न सदस्य राष्ट्रों से कोरना वायरस से अत्यधिक पीड़ित अन्य सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने की भी अपील की है।

यूरोज़ोन

- वर्ष 1998 में यूरोपीय संघ के 11 सदस्य राष्ट्रों ने यूरोज़ोन के मानदंडों को पूरा किया जिससे यूरोज़ोन अस्तित्व में आया।
- यूरोज़ोन का आधिकारिक शुभारंभ 1 जनवरी 1999 को हुआ।
- यूरोज़ोन 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों में से 19 राष्ट्रों का एक मौद्रिक संघ है जिसने यूरो को मुद्रा के एकमात्र कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है।
- इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन शामिल हैं।

लाभ

- कोरोना बॉण्ड का लाभ यह है कि वे यूरोपीय देशों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा देंगे।
- कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित देश अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किये बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा एकता के प्रदर्शन से यूरोप के सभी राष्ट्रों के बीच इस संकट से निकलने का विश्वास मज़बूत होगा।

हानियाँ

- कोरोना बॉण्ड का एक नुकसान यह है कि यह सदस्य राष्ट्रों की आवश्यक रूप से ऋण वहनीयता की शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा।
- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण प्रपत्र के कार्यान्वयन में भी बहुत समय लग सकता है। यह देरी उन देशों के लिये उचित नहीं है, जिन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
- फ्रूगल फोर देशों का किया जाने वाला विरोध यूरोपीय संघ के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। ऐसे में इस आशंका को भी बल मिलता है कि ब्रिटेन की भांति कहीं अन्य देश भी यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय न कर लें।

निष्कर्ष

कोरोना बॉण्ड को लेकर उत्पन्न विवाद मुख्य रूप से अधिकार व कर्त्तव्यों के मध्य संघर्ष का परिणाम है। जहाँ एक ओर इटली जैसे राष्ट्र हैं जो इस महामारी से अधिक संकटग्रस्त हैं तथा सहायता हेतु प्रयासरत हैं। वहीँ दूसरी ओर जर्मनी जैसे राष्ट्र हैं जो इस संकट से कम प्रभावित हैं, परंतु अन्य देश की आर्थिक सहायता करने का बोझ स्वयं पर नहीं लेना चाहते हैं। पूर्व में इस प्रकार की सामूहिक ऋण प्रक्रिया ब्रेक्ज़िट जैसे संकट को भी जन्म दे चुकी है। अत: यह आवश्यक है कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर अधिक सावधानी रखी जाए। इस समय सभी राष्ट्रों को यह समझना होगा कि राष्ट्र हित, मानवीय हितों से बढ़कर नहीं हो सकता है। इस संकट को सामूहिक प्रयत्न से ही दूर किया जा सकता है।

नोट :

संकट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना

संदर्भ

वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ 'बंद अर्थव्यवस्था' की अवधारणा से आगे बढ़कर लॉकडाउन की स्थिति में जा चुकी हैं। लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी महामारी या आपदा की स्थिति में कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ ही अपने राष्ट्र की सीमाओं के भीतर भी आर्थिक संव्यवहारों पर प्रतिबंध लगा देता है ताकि उस आपदा या महामारी के प्रसार को स्थान विशेष तक सीमित किया जा सके। वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर भी ग्रहण लगा दिया है। इन अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना (Belt and Road' initiative- BRI) का प्रमुख स्थान है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें विश्व के कई राष्ट्रों की सहभागिता है।

रक्षा विशेषज्ञों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं का मानना है कि कोरोना वायरस का प्रसार चीन के अतिरिक्त उन देशों में अधिक हुआ है जो चीन की महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भागीदार रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस परियोजना के माध्यम से ही कोरोना वायरस के प्रसार में वृद्धि हुई।

इस आलेख में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के बारे में जानने के साथ ही कोरोना वायरस के प्रसार में इसकी भूमिका, इस परियोजना तथा इससे जुड़े विभिन्न राष्ट्रों के भविष्य पर भी विमर्श किया जाएगा।

क्या है BRI परियोजना ?

- इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालाँकि, चीन इस बात से इनकार करता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपना भू-राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है।
- वर्ष 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है।
- BRI को 'सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट' और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है।
- BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है।
- यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है, जिसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ज़मीन एवं समुद्र से होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने की कल्पना की गई है।
- विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाज़ारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी।
- BRI के तहत पहला रूट जिसे चीन से शुरू होकर रूस और ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है जबकि इस योजना के तहत दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाया जाना है।
- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चीन को सड़क मार्ग के ज़रिये पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप से जोड़ना है, ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ाया जा सके।
- चीन से लेकर तुर्की तक सड़क संपर्क कायम करने के साथ ही कई देशों के बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य भी इस योजना में रखा गया है।
- BRI वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात करने का माध्यम है जिसके ज़रिये वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिये कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।

BRI कोरोना वायरस के प्रसार का उत्प्रेरक

- विदित है कि करोना वायरस के उद्गम का स्रोत चीन का वुहान शहर है जो दुनियाभर में अपनी 'सी फूड मार्केट (Sea Food Market)' के लिये प्रसिद्द है। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला सूचीबद्ध मामला इसी सी फूड मार्केट में सामने आया। सी फूड मार्केट में विश्व के सभी दुर्लभ पशु-पक्षियों का माँस बिकता है तथा इसे विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है।

- BRI परियोजना से जुड़े हुए देशों में कनेक्टिविटी व लॉजिस्टिक्स की बेहतर सुविधा के कारण इन देशों में दुर्लभ पशुओं व उनका माँस सरलता से निर्यात किया जाना संभव हुआ जिसके कारण इस बीमारी का प्रसार अन्य देशों तक भी हुआ।
- BRI परियोजना के भागीदार देशों में एक प्रमुख देश इटली भी है। इटली व चीन की विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों का इस परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में एक-दूसरे देश में आवागमन था, जिस कारण कोरोना वायरस का स्थानांतरण मानव से मानव में हो गया।
- इटली एक ऐतिहासिक व पर्यटन गंतव्य है। BRI परियोजना में इटली के शामिल होने के बाद चीन के साथ यातायात की बेहतर कनेक्टिविटी पर तेज़ी से कार्य हुआ, परिणामस्वरूप चीन से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक इटली के पर्यटन स्थलों पर जाने लगे। कोरोना वायरस के प्रसार के बाद भी लाखों लोग इटली गए जिससे इस वायरस का प्रसार मानव से मानव में तेज़ी से हुआ।
- इटली के पर्यटन स्थलों पर चीन के अतिरिक्त अन्य देशों के लोग भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं जिससे इस वायरस का प्रसार अन्य देशों के पर्यटकों को भी हो गया।
- इटली के अतिरिक्त यूरोप महाद्वीप के पोलैंड, आस्ट्रिया, ग्रीस, पुर्तगाल, लक्सम्बर्ग और स्विटज़रलैंड जैसे देश भी BRI परियोजना का हिस्सा हैं। चीन के साथ इन देशों की भी बेहतर कनेक्टिविटी कोरोना वायरस के प्रसार का कारण बनी।
- ईरान पिछले काफी समय से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते हुए भारी संकट में है, इस कारण उसने चीनी निवेश को बढ़ावा दिया और वर्ष 2019 में आधिकारिक तौर पर BRI परियोजना पर हस्ताक्षर किये तथा 2000 मील लंबे रेल ट्रैक जो पश्चिमी चीन से तेहरान होते हुए यूरोप में तुर्की तक जाएगी, के काम को आगे बढ़ाया। ईरान के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि या तो चीन के कर्मचारियों या फिर चीन से होकर आने वाले ईरानी व्यापारियों से यह संक्रमण ईरान में फैल गया।
- BRI परियोजना से संबंधित CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार चीन के काशगर प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक है। संभवत: पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र बिंदु BRI परियोजना से संबंधित CPEC प्रोजेक्ट ही है।
- यूरोप के अतिरिक्त एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के कई देश चीन की BRI परियोजना का हिस्सा हैं। इन देशों में भी BRI परियोजना ने कोरोना वायरस के प्रसार में उत्प्रेरक का कार्य किया।
- भारत BRI परियोजना का हिस्सा नहीं है परंतु भारत के प्रथम तीन कोरोना संक्रमित रोगी चीन के वुहान शहर से आये हुए व्यक्ति थे।

वैश्विक प्रभाव

- कोरोना वायरस का प्रकोप चीन की निर्माण और निवेश परियोजनाओं में देरी और व्यवधान को उत्पन्न कर रहा है। इस परियोजना के रुक जाने से कई वर्षों के परिश्रम और अरबों डॉलर का जोखिम है।
- इस वायरस के प्रसार को रोकने में क्वारंटाइन व आइसोलेशन जैसे उपाय चीनी श्रमिकों को विदेशी निर्माण स्थलों पर जाने से रोक रहे हैं, जिससे विदेशी परियोजनाओं में श्रम की आपूर्ति करने वाली घरेलू फर्मों को श्रम शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- वायरस के वैश्विक रूप से प्रसारित होने के बाद से प्रभावित होने वाली परियोजनाओं में इंडोनेशिया में 5.5 बिलियन डॉलर की हाई-स्पीड रेल लाइन परियोजना, मलेशिया में एक रेलवे इनिशिएटिव, श्रीलंका में बंदरगाहों के निर्माण संबंधी परियोजनाएँ और पाकिस्तान में आर्थिक विस्तार संबंधी परियोजनाएँ भी शामिल हैं। अत: इन देशों को व्यापक आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ सकती है।
- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने CPEC परियोजना के कारण चीन की कंपनियों और सेना के तमाम कर्मचारियों की इस क्षेत्र में तैनाती के कारण कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को देखते हुए CPEC परियोजना पर तत्काल रोक की मांग की है।
- कोरोना वायरस के प्रसार तथा विभिन्न देशों द्वारा BRI परियोजना पर प्रतिबंध की मांग से चीन आर्थिक रूप से तनाव में है, ऐसे में चीन अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में समझौता कर सकता है।
- चीन स्वयं द्वारा ऋण जाल में फँसाए गये देशों से ऋण वसूली की मांग कर सकता है, ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में चीन उन देशों पर अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग कर सकता है या BRI परियोजना के क्रियान्वयन के लिये उन पर दबाव बना सकता है।
- चीन दुनियाभर में विनिर्माण की गतिविधियों का केंद्र है। यदि चीन की BRI परियोजना को प्रतिबंधित किया जाता है तो विश्व के अनेक देशों के समक्ष विनिर्मित उत्पादों और सस्ते श्रम का संकट उत्पन्न हो सकता है।

भारत पर प्रभाव

- भारत प्रत्यक्ष रूप से BRI परियोजना का भागीदार नहीं है। यदि इस परियोजना पर प्रतिबंध लगता है तो निश्चित ही यह भारत की सामरिक चिंताओं को कम कर सकता है क्योंकि इस परियोजना के एक भाग के रूप में CPEC पाकिस्तान के कब्ज़े वाले भारतीय क्षेत्र से होकर निकलता है।
- चीन की अगुवाई में निर्मित इस परियोजना के प्रतिबंधित होने से भारत विश्व के समक्ष स्वयं को विनिर्माण के एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।
- चीन BRI परियोजना के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में यदि इस परियोजना को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो भारत के प्रति उसकी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' की नीति को गहरा धक्का पहुँचेगा।
- चिंता इस बात की भी है कि यदि चीन के द्वारा ऋण प्राप्त भारत के पड़ोसी (श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल) ऋण चुकाने में विफल रहे तो चीन इन देशों को अपना उपनिवेश बना सकता है, जो सीधे तौर पर भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों को चुनौती देगा।

आगे की राह

- इस संकट की घड़ी में विश्व के सभी देशों को अपना पूरा प्रयास इस वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में करना चाहिये।
- वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए समस्त प्रयास इस महामारी की हर संभव रोकथाम की दिशा में करने चाहिये, इसके साथ ही भारत से सीख लेते हुए अपने पड़ोसी देशों व उन क्षेत्रीय संगठनों, जिनका वे हिस्सा हैं, की ओर सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिये।
- चीन को आगे बढ़कर इस वैश्विक महामारी पर किये गए अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिये ताकि इस वायरस के प्रसार को रोकने में सामूहिक उपाय किये जा सकें।
- विश्व के सभी देशों को विनिर्माण क्षेत्र व आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न केंद्रों के निर्माण की दिशा में भी कार्य करना होगा।

बदलते परिदृश्य में भारत-मलेशिया संबंध

संदर्भ

बीते दिनों मलेशिया में मोहिउद्दीन यासीन के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मोहिउद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नामित करने के साथ ही पूर्व सत्तारूढ़ गठबंधन के टूटने और महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद एक सप्ताह से चल रहा राजनीतिक संकट समाप्त हो गया। मलेशिया की नई सरकार भारत के साथ संबंधों पर ज़मीं बर्फ को पिघलाना चाहती है। हालाँकि भारत और मलेशिया के बीच संबंधों में गर्मजोशी की बहाली काफी हद तक भारत-पाकिस्तान विवादों में तटस्थता बनाए रखने की नई सरकार की क्षमता पर निर्भर करती है।

इसके अलावा यासीन सरकार को अपनी विदेश नीति में इस्लामिक बयानबाज़ी का विरोध करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा न करने से भारत जैसे अन्य देशों के साथ उसके संबंध जटिल हो सकते हैं। इससे पहले मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा जम्मू-कश्मीर और नागरिकता कानून को लेकर विवादित टिप्पणी करने से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। परिणामस्वरूप भारत ने मलेशिया से पाम आयल के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था।

इस आलेख में भारत-मलेशिया के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, संबंधों में खटास के कारण तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में मलेशिया अकेला ऐसा दक्षिण-पूर्वी देश था जिसने न सिर्फ खुलकर भारत का साथ दिया था, बल्कि भारत को युद्ध में सहायता देने के लिये एक आर्थिक कोष की भी स्थापना की थी।
- वहीं, भारत ने भी वर्ष 1965 में इंडोनेशिया-मलेशिया विवाद में मलेशिया का साथ दिया था। इसके चलते भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में खटास आ गई थी।

- शीत युद्ध के दौरान दोनों ही देश गुटनिरपेक्ष देशों के दल के साथ रहे और इन्होंने पारस्परिक संबंधों को मज़बूत बनाए रखा। एक मुस्लिम बहुल देश होने और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद मलेशिया और भारत के संबंध मधुर बने रहे।
- भारत सरकार के वर्ष 1992 में 'लुक ईस्ट नीति' के अनावरण ने संबंधों को नए आयाम दिये।
- वर्ष 2014 में चुनी गई नई सरकार ने कूटनीति के अगले चरण में मलेशिया समेत अन्य पूर्वी एशियाई देशों में पहल करते हुए लुक ईस्ट नीति को 'एक्ट ईस्ट नीति' में तब्दील कर दिया। मलेशिया भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है।
- राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभों पर भारत और मलेशिया का आपस में सहयोग काफी महत्त्वपूर्ण है।
- गौरतलब है कि मलेशिया आसियान समूह का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सदस्य है और आसियान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार और इस दस सदस्यों के समूह में भारत छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- इसके अलावा मलेशिया में भारतीय मूल के करीब 24 लाख लोग हैं जो वहाँ की कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत हैं।
- पिछले कई सालों के दौरान, भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सहयोग के कई समझौतों को अंजाम दिया जिनमें मलेशिया-इंडिया कोम्प्रेहेंसिवे इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एग्रीमेंट (2011) और इनहेंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (2016) प्रमुख हैं।

एक्ट ईस्ट नीति

- भारत की वर्तमान विदेश नीति के बारे में कहा जा रहा है कि भारत इस मोर्चे पर आज जितना मज़बूत है उतना कभी नहीं था। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मज़बूत आधार देने के बाद भारत सरकार ने कूटनीति के अगले चरण में पूर्वी एशियाई देश में पहल करते हुए वर्ष 2014 में लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया।
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण, व्यापार, कौशल, शहरी नवीकरण, स्मार्ट सिटीज़, मेक इन इंडिया और अन्य पहलों पर हमारे घरेलू एजेंडे में भारत-आसियान सहयोग पर ज़ोर दिया है।
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, ताकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को उन्नत कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।

विवाद के कारण

- भारत में टेरर फाइनेंस के आरोपी जाकिर नाइक के मलेशिया भाग जाने और भारत सरकार की तमाम कोशिशों और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद मलेशियाई सरकार के उसे भारत नहीं भेजने के निर्णय ने राजनयिक स्तर पर पिछले कुछ सालों से एक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है।
- वर्ष 2018 में महातिर मोहम्मद के सत्ता पर काबिज़ होने के बाद से भारत के लिये खासतौर पर परिस्थितियाँ कुछ कठिन हुई हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय की गुज़ारिश के बावजूद महातिर ने जाकिर नाइक को यह कहकर भारत भेजने से मना कर दिया था कि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2011 में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि और वर्ष 2012 में आपराधिक मामलों में एक-दूसरे की कानूनी सहायता संबंधी समझौता होने के बावजूद मलेशिया ने जाकिर नाइक को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया।
- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान देकर मलेशिया ने पाकिस्तान से बढ़ती करीबी और भारत से संबंधों पर पड़ते इसके असर को उजागर कर दिया।
- महातिर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अप्रत्याशित रूप से कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 'भारत ने कश्मीर पर आक्रमण कर उसे कब्ज़े में कर रखा है, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के उलट है।'

पाम तेल और भारत

- मलेशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाम आयल के कारोबार पर निर्भर है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत में खाने में इस्तेमाल किये जाने वाले तेलों में पाम तेल का हिस्सा दो-तिहाई है।

नोट :

- भारत पाम आयल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। भारत को पाम आयल की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में खपत होने वाले कुल पाम आयल का लगभग 60-70 प्रतिशत तेल विदेशों से आयात होता है।
- भारत हर साल लगभग 90 लाख टन पाम तेल आयात करता है और यह मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातित होता है।

भारत और मलेशिया के बीच सहयोग के क्षेत्र

- भारत मलेशिया के पाम आयल का सबसे बड़ा खरीददार देश है। भारत और मलेशिया के बीच कुल 17.2 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जिसमें से भारत 10.8 बिलियन डॉलर का आयात करता है।
- हाल के वर्षों में मलेशियाई कंपनियों और निवेशकों द्वारा भारत में कई परियोजनाओं, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और निर्माण क्षेत्रों में निवेश किया गया है। साथ ही निवेश के नए क्षेत्रों का पता भी लगाया गया।
- मलेशियाई कंपनियाँ भारत के विभिन्न राज्यों में कई बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में काम कर रही हैं। भारतीय कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर मलेशिया की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है।
- रॉयल मलेशियाई वायु सेना और भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण, रख-रखाव, तकनीकी सहायता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों में सहयोग के लिये विमान सुरक्षा और रख-रखाव मंच की स्थापना के संदर्भ में काम कर रहे हैं।
- दोनों देश आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर मलेशियाई और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास तथा तकनीकी जानकारी और दस्तावेज़ों के पारस्परिक आदान-प्रदान में सहयोग कर रहे हैं।
- मलेशिया में भारतीय मूल के समुदाय के योगदान का उत्सव मनाने के लिये कुआलालंपुर में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र' के रूप में नामित किया गया है।
  - नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, भारत और मलेशिया के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करके भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय नृत्य जैसे कि कत्थक और मणिपुरी के लिये भारतीय पेशेवरों और प्रशिक्षकों को नियुक्त करके द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।
- इसके अलावा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल के नियम व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आदान-प्रदान के ज़रिये खेल के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इंटरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद तथा मलेशियन ह्यूमन रिसोर्स फंड के बीच प्रशिक्षण तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अंजाम एक देने पर एक समझौता हुआ।
- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और कौशल विकास जैसे भारत द्वारा उठाए गए नए विकास और व्यापारिक पहलों में मलेशियाई व्यापारियों के लिये निवेश के महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
- आयुर्वेद एवं भारतीय परंपरा की अन्य पारंपरिक चिकित्साओं में दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने की ज़रूरत को स्वीकार करते हुए मलेशिया ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत से एक आयुर्वेद के चिकित्सक और दो थेरेपिस्ट की प्रतिनियुक्ति की है।
- टिकाऊ ऊर्जा विकास, भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा अर्जित करने की दिशा में एक प्रमुख तत्त्व रहा है और भारत तथा मलेशिया दोनों ही देश बेहतर ऊर्जा सुविधाओं के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों ने जल्द से जल्द नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमति जताई है।

आसियान देशों से भारत का संबंध

- दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का संबंध 2000 वर्ष से भी पुराना है। भारत के कंबोडिया, मलेशिया एवं थाइलैंड जैसे देशों के बीच प्राचीन व्यापार का पूरा दस्तावेज़ मौजूद है।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की संस्कृतियों, परंपराओं एवं भाषाओं पर इन शुरुआती संपर्कों का पूरा प्रभाव पड़ा है। कंबोडिया में अंगकोरवाट मंदिर परिसर, इंडोनेशिया में योग्याकर्त्ता के निकट बोरोबुदूर एवं प्रमबन मंदिर एवं मलेशिया में प्राचीन कैंडिस जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भारतीय हिन्दू-बौद्ध प्रभाव दिखते हैं।
- इसके अलावा भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति एवं आसियान के साथ संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये 3-सी (कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर) हमारे व्यापक सहयोग के ज्वलंत उदाहरण हैं।

- सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चे पर, आसियान-भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम एवं वार्षिक दिल्ली संवाद जैसे कार्यक्रम लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मज़बूत बनाते हैं। इन मंचों के ज़रिये आसियान देशों व भारत के युवा, शिक्षाविद एवं उद्योगपति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं तथा रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं।
- भारत हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक बड़े समुद्री लेनों के साथ रणनीतिक रूप से अवस्थित है। ये समुद्री लेन आसियान के कई सदस्य देशों के लिये महत्त्वपूर्ण व्यापार रास्ते भी हैं।

आगे की राह

- एक ऐसे देश के रूप में जहाँ लगभग 8 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है, मलेशिया भारत की विदेश नीति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ मलेशिया भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का एक प्रमुख स्तंभ है तथा भारत की समुद्री संपर्क रणनीतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- ऐसे में भारत को धैर्य का परिचय देते हुए मलेशिया के साथ अपने संबंधों को परिभाषित करना होगा। वहीं मलेशिया को यह प्रयास करना होगा कि उनकी घरेलू राजनीति भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ खराब संबंधों की नींव पर न स्थापित हो।

हिंद महासागर क्षेत्र: साझा सामरिक विज़न

संदर्भ

“जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण है, उसी का एशिया पर प्रभुत्व है। 20वीं सदी में यह महासागर सातों समुद्रों का आधारभूत है। विश्व की भवितव्यता का निर्णय इसके जल तल पर होगा।” अल्फ्रेड थेयर महान के शब्दों में हिंद महासागर क्षेत्र के महत्त्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। थेयर के इस कथन से न केवल हिंद महासागर के ऐतिहासिक महत्त्व का पता चलता है बल्कि उसके भू-राजनीतिक महत्त्व का भी पता चलता है। शायद इसी कारण से आज हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच नौसैन्य अड्डा बनाने की होड़ लगी है।

वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों ने भारत की छवि को काफी धक्का पहुँचाया था। इस हमले के बाद भारत की तटीय सुरक्षा व्यवस्था और महासागरीय क्षेत्र की बेहद सीमित जानकारी की चिंताजनक स्थिति हमारे सामने आई। इस आतंकवादी हमले ने भारत को अपनी समुद्री रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने के लिये विवश किया जिसकी वजह से समुद्र में होने वाली घटनाओं के ज़मीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव की अहमियत समझने में आसानी हुई। इसी के मद्देनज़र वर्ष 2008 से ही भारत सरकार लगातार समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने की दृष्टि से हिंद महासागरीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रणनीतिक बढ़त को हासिल करने के लिये भारत ने वर्ष 2015 में एक रणनीतिक विज़न ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) प्रस्तुत किया। वर्तमान में सरकार इसी रणनीतिक विज़न पर कार्य कर रही है।

इस आलेख में हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति को समझने के साथ ही इसके भू-राजनीतिक महत्त्व को भी समझने का प्रयास किया जाएगा तथा हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक बढ़त के लिये विभिन्न सुझावों पर भी विमर्श किया जाएगा।

हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति

- हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20 प्रतिशत भाग इसमें समाहित है।
- हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में चीन, सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है।
- हिंद महासागर भारत को दक्षिण-एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशिनिया तक पहुँच प्रदान करता है।
- हिंद महासागर मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के लिये एक मूल्यवान स्रोत भी है।

हिंद महासागरीय क्षेत्र एक उभरती हुई शक्ति कैसे?

- जनसांख्यिकी दृष्टि से- हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 2.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, जो दुनिया की आबादी का एक तिहाई है।

- आर्थिक दृष्टि से- विश्व के कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत परिवहन हिंद महासागर के चोक पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले जल के तीन संकरे मार्गों से होकर जाता है। इसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित होर्मुज का जलडमरूमध्य शामिल है, जो फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी व सबसे अधिक क्षमता वाला देश भी होगा।
- राजनीतिक दृष्टि से- हिंद महासागर सामरिक प्रतिस्पर्द्धा का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। इस निवेश के माध्यम से चीन हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों में अपनी सामरिक बढ़त को बनाना चाहता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की भूमिका:

- रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी नौसैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की भाँति जिबूती में भी एक नौसैन्य चौकी स्थापित कर रहा है, जो बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
- रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गैर-शांति अभियानों के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में स्थापित अपने सभी नौसैन्य बेस में रसद आपूर्ति के विस्तार की योजना बना रही है, जिससे भारतीय नौसेना के हितों के साथ टकराव होने की संभावना है।
- जिबूती में स्थापित नौसैन्य बेस के माध्यम से चीन हिंद महासागर में स्थित परिवहन मार्गों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे भारत की कच्चे तेल और ऊर्जा संबंधी सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है।
- चीन अपनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' नीति के अनुसार, भारत को घेरते हुए हिंद महासागर में स्थित देशों में अपने नौसैन्य अड्डे स्थापित कर भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करना चाहता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति

- पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिये अलगाव की स्थिति थी। लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र के लिये भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है।
- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीति को मूर्तरूप देने के लिये सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा है, ताकि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को सुदृढ़ करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके।
- इस तरह भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को साध सकेगा बल्कि ब्लू इकॉनमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। ब्लू इकॉनमी पर बल देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए ही नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों को आमंत्रित किया, इतना ही नहीं भारतीय प्रधानमंत्री नें अपनी पहली विदेश यात्रा के लिये मालदीव और श्रीलंका चुना।
- कुछ वर्षों में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किये गए प्रयास इस क्षेत्र के संबंध में भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करते हैं तथा इस क्षेत्र के महत्त्व को भी इंगित करते हैं।

क्या है सागर पहल ?

- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिये गढ़ा गया एक सिद्धांत है।
- यह एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है।
- यह विश्व के सभी देशों की नौ सेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज़ करने के लिये सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है।
- भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिये सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए सागर पहल हिंद महासागर में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह पहल हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ (Indian Ocean Rim Association- IORA) के सिद्धांतों के अनुरूप है।

नोट :

हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ

- वर्ष 1997 में हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई।
- हिंद महासागर के सीमावर्ती 22 देश इस संघ के सदस्य हैं।
- इसका सचिवालय मॉरीशस के इबेन शहर में स्थापित किया गया है।
- इसके सदस्य देशों की आबादी लगभग 2.7 बिलियन है।

उद्देश्य

- इस क्षेत्र के सदस्य देशों के स्थाई विकास एवं संतुलित प्रगति को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिये साझी ज़मीन सृजित करना।
- आर्थिक सहयोग के ऐसे क्षेत्रों पर बल देना जो साझे हितों के विकास के लिये तथा परस्पर लाभ प्राप्त करने के लिये अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं।
- व्यापार के उदारीकरण के लिये सभी संभावनाओं एवं अवसरों का पता लगाना, क्षेत्र के अंदर माल, सेवाओं, निवेश एवं प्रौद्योगिकी के मुक्त एवं अधिक प्रवाह की दिशा में आने वाली अड़चनों को दूर करना तथा बाधाओं को कम करना।
- सदस्य देशों के बीच किसी भेदभाव के बिना तथा अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं व्यापार सहयोग व्यवस्थाओं के अंतर्गत बाध्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना सदस्य देशों के व्यापार एवं उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं, विद्वानों एवं लोगों के बीच घनिष्ठ अंत:क्रिया को प्रोत्साहित करना।

हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हेतु सुझाव

- इस क्षेत्र में भारत को और अधिक सक्रिय रूप से समुद्री हितों को लेकर नीति को गति देने की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र में विकसित हो रही परिस्थितियों में वह प्रमुख भूमिका निभा सके। अत: भारत को सागर (SAGAR) पहल पर बल देना होगा और इसके लिये एक ऐसे ढाँचे का निर्माण करना होगा जिसे उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके।
- भारत द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है और इसके लिये भारत को सागरमाला परियोजना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह परियोजना अवसंरचना को तटीय भागों में सुदृढ़ करेगी जिससे विनिर्माण, व्यापार तथा पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- विश्व के लगभग सभी देश समुद्र में स्वतंत्र नौ-परिवहन को लेकर एक मत हैं लेकिन विभिन्न देशों में नौ-परिवहन की स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसका कारण कई देशों के कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (International Maritime Law-IML) से भिन्न होना है। इस विषय पर भारत अन्य देशों के मध्य मतभेदों को समाप्त करने और एक निश्चित परिभाषा पर सहमत होने के लिये नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है।
- भारत को चाहिये कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहुँच में वृद्धि करे। परिचालन द्वारा भारत अपनी उपस्थिति को इस क्षेत्र में मज़बूती से दर्ज करा सकता है। यह इस क्षेत्र में भारत के दीर्घकालीन हितों की पूर्ति करेगा, साथ ही इस क्षेत्र की स्थिरता को भी मज़बूती प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में भारत के जापान जैसे सहयोगी पहले से ही मौजूद हैं, जो भारत को आवश्यकता के समय लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं।
- सागरमाला परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं को भी आरंभ किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बंदरगाहों के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण, तटों के करीब रहने वाले लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, निवेश तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नई नौकरियों के सृजन पर ध्यान दिया जा सकता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र को समर्पित एक अध्ययन केंद्र के निर्माण की संभावना पर भी विचार करना चाहिये। यदि संभव हो तो ऐसे केंद्र की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप में हो सकती है जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिये।

दक्षिण चीन सागर विवाद: कारण और प्रभाव

संदर्भ

जहाँ एक ओर पूरा विश्व COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में संघर्षरत है, वहीं दूसरी ओर चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को संचालित कर इस क्षेत्र से संबंधित देशों के समक्ष दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। हाल के दिनों में चीन के द्वारा इस संवेदनशील क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के आयोजन के साथ ही बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती भी की गई। इतना ही नहीं वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अनुसार, कुछ दिन पूर्व ही चीन के तटरक्षक बल के एक पोत द्वारा दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह (Paracel Islands) में वियतनाम की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को डुबाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से चीन की यह हरकत वियतनाम की संप्रभुता का उल्लंघन कर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली है।

विदित है कि दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है और यह व्यापार तथा परिवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। दक्षिण चीन सागर में स्थित विभिन्न देशों के बीच इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर तनाव व्याप्त है। चीन से लगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और उनके द्वीपों को लेकर भी चीन और वियतनाम , इंडोनेशिया , मलेशिया, ब्रूनेई दारुसलाम, फिलीपींस, ताइवान , स्कार्बोराफ रीफ आदि क्षेत्रों को लेकर विवाद है। लेकिन मूल विवाद की जड़ है दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली और पार्सल द्वीप, क्योंकि यह दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से परिपूर्ण हैं।

इस आलेख में दक्षिण चीन सागर की स्थिति, विवाद के कारण तथा उसके प्रभाव के साथ इस क्षेत्र में भारत की भूमिका पर विमर्श करने का भी प्रयास किया जाएगा।

दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति

- दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं।
- इसके आस-पास इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिण–पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है।
- दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को स्पर्श करते हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बेैंतुंग द्वीप हैं।

दक्षिण चीन सागर का विवादित इतिहास

- सर्वप्रथम वर्ष 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमितांग सरकार ने 'इलेवन डैश लाइन' (Eleven Dash line) के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया था।
- चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी को इलेवन डैश लाइन से बाहर कर दिया गया। परिणामस्वरूप इलेवन डैश लाइन को अब 'नाईन डैश लाइन' (दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएँ) के नाम से जाना जाने लगा।
- चीन द्वारा वर्ष 1958 के घोषणापत्र में नाईन डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया।
- चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह नाईन डैश लाइन (Nine Dash Line) के अंतर्गत समाहित हो गए, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है।
- इसी प्रकार नाईन डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र शामिल है।
- वर्ष 1949 से ही चीन नाइन-डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग (लगभग 80%) पर अपने अधिकार का दावा करता रहा है।

दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण

- इस विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है।

- चीन दक्षिण-चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं।
- मछली व्यापार में शामिल देशों के लिये यह जल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण तो है ही साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्त्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है।

प्रभाव

- दक्षिण चीन सागर विवाद ने इस विवाद में शामिल क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, इन देशों का चीन के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है।
- दक्षिण चीन सागर सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। यदि इस क्षेत्र में तनाव इसी प्रकार जारी रहा तो शिपिंग और आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हो जाएंगी।
- पूर्वी एशिया में अमेरिका की व्यापक सुरक्षा प्रतिबद्धताएँ हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र के कई देशों जैसे फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम के साथ सुरक्षा गठबंधन भी कर रखा है। इसलिये इन देशों का चीन के साथ कोई भी विवाद अमेरिका को सीधे प्रभावित करेगा।

चीन की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति

- चीन को प्राकृतिक तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व के देशों द्वारा मलक्का जलडमरुमध्य के रास्ते से होती है। अक्सर अमेरिका चीन को चेतावनी देता है कि वह मलक्का जलडमरुमध्य को ब्लॉक कर देगा जिससे चीन की ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी।
- यही कारण है कि चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू-आर्थिक और भू-सामरिक हित दिखाई देते हैं । दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल के भंडार हैं, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार है , जिसके 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- यह क्षेत्र ऐसा हैं जहाँ से हर वर्ष 5 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यहाँ स्थित महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों के जरिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता होती है।
- यह जानना भी जरूरी है कि सिर्फ़ तेल और गैस ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर में मछलियों की हज़ारों नस्लें पाई जाती है। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा या तो दक्षिणी चीन सागर से गुज़रता है, या वहाँ पाया जाता है। इसलिये चीन इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखता है।
- चीन ने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों में कई प्रकार के अवैध कार्य किये हैं । अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए चीन ने यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाए हैं , संसाधन अन्वेषण के लिये सर्वे भी आयोजित किये हैं।

दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की भूमिका

- भारत स्पष्ट रूप से 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी , 1982' (United Nations Convention on the Law of the Sea) के सिद्धांतो के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है।
- भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किये बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो न चाहते हुए भी जटिलताएँ पैदा हो जाएंगी और क्षेत्र की शांति व स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा।
- भारत, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साज़ो सामान के आयात-निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस प्रकार भारत पूर्वी एशिया खासतौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों के महत्त्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है।
- दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिये पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्त्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है।
- नाईन डैश लाइन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पंचाट के निर्णय को ठुकरा कर चीन ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिये हैं, ऐसे में भारत को इस क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
- अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है तथा इस प्रकार इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत-अमेरिका का महत्त्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।

निष्कर्ष

भारत को चीन और पूर्वी एशियाई देशों विशेषकर दक्षिण चीन सागर विवाद में उलझे देशों के साथ मधुर संबंध रखते हुए कूटनीतिक दृष्टि से अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इन देशों के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किये बिना अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति की जा सके। ऐसा करके ही भारत इस क्षेत्र में स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

सुरक्षा परिषद की अस्मिता पर सवाल

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस समय विश्व के समक्ष COVID-19 की महामारी के रूप में जो चुनौती खड़ी हुई है, इसे इक्कीसवीं सदी में मानवता के लिये सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। इस संकट की घड़ी में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संकट को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका की अपेक्षा थी, तो परिषद स्वयं ही निष्क्रिय अवस्था में है। सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है इस वैश्विक संकट की घड़ी में सदस्य देश एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मानवता के ऊपर मंडरा रहे इस संकट काल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने घरेलू संघर्ष में उलझे देशों से युद्ध-विराम की अपील की है। लेकिन उनकी अपील के बावजूद, संकट के इस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार सुरक्षा परिषद अनुपस्थित है, वह वाक़ई एक चिंताजनक स्थिति है।

हालाँकि वैश्विक स्तर पर हो रही आलोचना के बाद कुछ दिन पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्य देशों के साथ अपनी पहली बैठक का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व भर में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये बुलाई गई अपनी पहली बैठक में COVID-19 से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।

इस आलेख में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इतिहास, संगठन, उसकी भूमिका तथा सुरक्षा परिषद के संगठन में सुधार की आवश्यकता और भारत की दावेदारी के संदर्भ में विभिन्न पहलूओं पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

सुरक्षा परिषदः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था।
- सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन हैं।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है।
- गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो वर्ष के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है।
- स्थायी और अस्थायी सदस्य क्रमशः एक माह के लिये परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
- अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उदेश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थाई सदस्यता के लिये सदस्य देशों में चुनाव होता है।
- इसमें पाँच सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, दो दक्षिण अमेरिकी देशों से, एक पूर्वी यूरोप से और दो पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं।

सुरक्षा परिषद को प्राप्त शक्तियाँ

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है।
- इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है।

नोट :

- यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिये बाध्य हैं।
- मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो पॉवर है। वीटो पॉवर का अर्थ होता है 'निषेधाधिकार'।
- स्थाई सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थाई सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पॉवर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है।

सुरक्षा परिषद और वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था

- स्वास्थ्य को आम तौर पर व्यक्तिगत और विभिन्न देशों का घरेलू विषय माना जाता रहा है। विशेष कर तब तक, जब तक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चुनौती कई देशों में एक साथ न उठ खड़ी हो।
- इस सदी के प्रारंभ में हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एचआईवी/एड्स का मुद्दा उठा था। यह पहला मौका था जब सुरक्षा परिषद में किसी बीमारी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया और उस समय वैश्विक प्रशासन के सबसे बड़े सुरक्षा मंच पर परिचर्चा हुई थी।
- सुरक्षा परिषद द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा करने का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका के युद्धरत देशों में शांति स्थापना के प्रयासों में एड्स की बीमारी को भी शामिल करने पर सहमति बन गई। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एड्स की बीमारी को सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया। इसके लिये सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1308 को मंज़ूरी दी थी।
- इसके प्रस्ताव के अंतर्गत इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि एचआईवी/एड्स महामारी की अगर रोकथाम न की गई, तो इससे पूरे अफ्रीका की स्थिरता और सुरक्षा को खतरा है।
- इसी तरह, वर्ष 2014 में जब पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस की महामारी फैली, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस पर एक प्रतिक्रियात्मक कदम उठाया और अपने शांति अभियानों के अंतर्गत इस महामारी से निपटने का लक्ष्य भी शामिल किया। इसी के बाद सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 3177 में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि इबोला वायरस की महामारी की रोकथाम के लिये संयुक्त राष्ट्र के सभी अनुषांगिक संगठनों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिये।
- दुर्भाग्यवश COVID-19 महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य देश ने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं सामने रखा है। जबकि ज़रूरत ये है कि महामारी से निपटने के लिये तमाम देशों में आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिये।

सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू-राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है।
- शीतयुद्ध समाप्त के बाद से ही इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है।
- मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का मात्र 5 प्रतिशत ही निवास करती है।
- अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है।
- शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के ढाँचे में सुधार की आवश्यकता इसलिये भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहा है।

भारत सुरक्षा परिषद का दावेदार क्यों ?

- 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5वाँ हिस्सा निवास करता है।

नोट :

- भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावों को और मज़बूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी-20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है।
- भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश है।

अन्य समूह भी कर रहे हैं सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग

- जी-4 समूह: भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर जी-4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। जी-4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत व प्रभावी बनाने की ज़रूरत है।
- L-69 समूह: ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क़रीब 42 विकासशील देशों के एक समूह की अगुवाई कर रहा है। L-69 समूह ने UNSC सुधार मोर्चा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
- अफ्रीकी समूह: अफ्रीकी समूह में 54 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण समूह है। इस समूह की मांग है कि अफ्रीका के कम से कम दो राष्ट्रों को वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए।

सुरक्षा परिषद के सुधार में बाधाएँ

- सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पॉवर को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं और न ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव के विरोध में हैं।
- अमेरिका जहाँ बहुपक्षवाद के खिलाफ है। तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत और जापान सुरक्षा परिषद के सदस्य बने।

निष्कर्ष

इस वैश्विक संकट की घड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूर्व की भांति सक्रियता दिखानी चाहिये ताकि विश्व व्यवस्था के सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के महत्त्व को कम कर के न आँका जाए। वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद् में सुधार की दिशा में भी कार्यरत होना चाहिये। निश्चित रूप से, स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत को भी और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

नेबरहुड फर्स्ट: एक समग्र अवलोकन

संदर्भ

इस समय जब पूरा विश्व COVID-19 नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुज़र रहा है, भारत के लिये अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का एक सुअवसर और देश की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' की प्रासंगिकता को बहाल करने की एक चुनौती है। अपने पड़ोसी देश जो अपेक्षाकृत क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नई दिल्ली के लिये यह अपनी उदारता और क्षमता का प्रदर्शन करने का यह एक बेहतर अवसर है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत महामारी से उतना ही त्रस्त है, जितना कि दक्षिण एशिया के अन्य देश। यदि ऐसी स्थिति में कुछ भिन्न है तो यह कि पश्चिम देशों की तुलना में भारत इस महामारी से निपटने में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यदि भारत COVID-19 महामारी के प्रबंधन में वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होकर उभरेगी।

इस आलेख में नेबरहुड फर्स्ट नीति, उसकी आवश्यकता, नीति के संभावित लाभ न मिल पाने के कारण और भारत की बदलती प्राथमिकता पर विमर्श किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया तथा पड़ोसी देशों एवं विश्व के अन्य देशों के साथ वैश्विक शांति को आगे रखते हुए सौहार्दपूर्ण एवं मित्रात्मक संबंधों को प्राथमिकता दी। इसी वज़ह से भारत ने शीतयुद्ध के दौर में किसी विशेष गुट का हिस्सा बनने की बजाय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया।
- बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में 'लुक ईस्ट' की नीति अपनाई।
- इसके अलावा भारत ने 'गुजराल सिद्धांत' के तहत अपने छोटे पड़ोसी देशों को एकतरफा छूट देने की नीति पर भी कार्य किया जिसे 'फरक्का समझौते' के संदर्भ में समझा जा सकता है।
- वर्तमान सरकार ने विदेश नीति में निरंतरता के तत्त्वों को बनाए रखने के साथ-साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसे अधिक गतिशील बनाते हुए 'प्रथम पड़ोस की नीति' (Neighbourhood First Policy) को प्राथमिकता प्रदान की है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति

- 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' में भी भारतीय विदेश नीति में विद्यमान निरंतरता के तत्त्वों को कायम रखा गया है, जिसमें वैश्विक शांति, मित्रता एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल प्रदान करते हुए गुजराल सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार लिया गया है।
- इसके तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक विकास तथा संवृद्धि में भागीदार बनने की प्रतिबद्धता को बल प्रदान किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए किसी देश के दल-विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी दलों के साथ संबंधों को मधुर एवं प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। इसे अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व स्थापना के अंतर्गत आए भारतीय दृष्टिकोण के परिवर्तन के संदर्भ में देखा जा सकता है।
- पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करके उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करते हुए उनके यहाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति की आवश्यकता

- भारत के अधिकांश पड़ोसी देश छोटे हैं जिसके कारण भारत को लेकर वे सदैव आशंकित रहते हैं तथा कहीं न कहीं भारत के संदर्भ में 'बिग ब्रदर' सिंड्रोम से प्रभावित हैं। ऐसे में पड़ोसी देशों में शांति, स्थायित्व तथा विश्वासपूर्ण संबंध भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हैं परंतु, कई बार यह वैश्विक परिस्थितियों तथा क्षेत्रीय घटनाओं से प्रभावित होते रहते हैं।
- पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात की जाए तो वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भारत के मधुर संबंध हैं तथा वहाँ क्षमता निर्माण में भारत प्रमुख निभा रहा है परंतु तालिबान की सक्रियता यहाँ चिंता का विषय बनी हुई है। नेपाल के साथ भी भारत के अच्छे सामजिक-सांस्कृतिक संबंध हैं, परंतु नेपाल की आंतरिक स्थिति तथा यहाँ चीन की मौजूदगी इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- भूटान के साथ भारत के सदैव मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं तथा वर्तमान में भी ये संबंध प्रगतिशील हैं। बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ संबंध तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन की मौजूदगी यहाँ भी संबंधों को प्रभावित कर रही है।
- चीन अपना प्रभाव हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे में चीन, भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने की मंशा से भारत को 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Perls) की नीति के तहत घेरने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। अत: दक्षिण एशिया में चीन को प्रति संतुलित करने के क्रम में पड़ोसी देशों की भूमिका अत्यंत बढ़ जाती है।
- अपनी सामरिक आवश्यकताओं को साधने के साथ ही दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना, आर्थिक विकास, व्यापारिक उन्नति, आसियान देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास एवं सीमा प्रबंधन में इन देशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अपनी नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करे।

नोट :

नेबरहुड फर्स्ट नीति के संभावित लाभ न मिलने के कारण

- दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थायित्व, नृजातीय संघर्ष, कनेक्टिविटी का अभाव जैसी समस्याएँ पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में गतिरोध एवं अविश्वास उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा इन देशों में चीन का हस्तक्षेप इसे और जटिल बना देता है।
- इसके पीछे एक अन्य मनोवैज्ञानिक कारण को भी देखा जा सकता है। भारत के बड़े आकार तथा अर्थव्यवस्था को लेकर पड़ोसी देशों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न होता है जिसे वह चीन के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। अत: भारत को मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान भी वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर ही खोजना चाहिये।

सार्क की अपेक्षा बिम्सटेक को वरीयता

- उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और नागरिकों के मध्य आपसी समन्वय व सहयोग को बढ़ावा देने के लिये 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) की स्थापना की गई थी। किंतु अपनी स्थापना के लगभग 33 वर्षों पश्चात भी सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है, जिसके प्रमुख कारण भारत-पाकिस्तान संबंधों में मतभेद और अविश्वास, कनेक्टिविटी व संचार का अभाव इत्यादि हैं।
- इस कारण कई विद्वानों का मत था कि अब सार्क से ज़्यादा उम्मीद रखना व्यावहारिक नहीं है। भारत द्वारा, उरी आतंकवादी हमले के पश्चात सार्क की पाकिस्तान में आयोजित 19वीं बैठक का बहिष्कार भी किया गया था जिसमें अन्य सदस्य राष्ट्रों ने भी भारत का समर्थन किया था।
- अत: भारतीय नीति-नियंताओं को ऐसे मंच की तलाश थी, जो भारतीय हितों की पूर्ति करने के साथ-साथ दक्षिण एशिया व हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दे तथा 'एक्ट ईस्ट' नीति के सफल क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाए। बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक हो सकता है।
- बिम्सटेक, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के मध्य सेतु का कार्य करता है क्योंकि इस क्षेत्रीय संगठन में पाँच सदस्य देश, यथा- बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत सार्क के सदस्य देश भी हैं तो वहीं म्यांमार व थाईलैंड आसियान संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं।
- बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी के निकट मौजूद देशों का संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विश्व की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा संगठन के सदस्य देशों की साझी जीडीपी लगभग 2.7 मिलियन डॉलर है। बिम्सटेक के सदस्य देशों के साथ भारत के कोई राजनीतिक मतभेद भी नहीं हैं।
- इसके साथ ही सदस्य राष्ट्रों की अपनी-अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ भी इस मंच की सफलता की संभावना को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिये, नेपाल और भूटान इस मंच से अपनी भू-आबद्ध स्थिति से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं।

आगे की राह

- भारत को पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने हेतु 'थ्री सी' (कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देना होगा।
- पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना हेतु भारत को अपनी 'सॉफ्ट पॉवर' तथा सांस्कृतिक कूटनीति का सहारा लेना चाहिये, जिसका चीन के पास अभाव देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिये ताकि भारत के प्रति 'ट्रस्ट डेफीसिट' न हो।
- हमें अपनी परियोजनाओं के संदर्भ में यह संकेत देने की आवश्यकता है कि ये उनके सामजिक-आर्थिक हित में है न कि उनको ऋण जाल में फँसाने के लिये। ऐसा करने से कहीं-न-कहीं भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा उनका मनोवैज्ञानिक भ्रम दूर होगा।
- इस संकट की घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देशों को दवाइयाँ व अन्य चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करा सकता है, जो न केवल इन देशों में चीन के प्रभाव को प्रति-संतुलित करेगा बल्कि भारत की 'सॉफ्ट पॉवर'नीति में भी वृद्धि करेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल डिवाइड: कारण और समाधान

संदर्भ

डिजिटलीकरण के दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ज़रिया बन गया है। दशकों पूर्व इंटरनेट तक पहुँच को विलासिता का सूचक माना जाता था, परंतु वर्तमान में इंटरनेट सभी की ज़रूरत बन गया है। इसकी उपयोगिता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जा रहा है।

इस वैश्विक संकट में डिजिटल माध्यम लाखों नागरिकों के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। डिजिटल माध्यम से सहायता का यह रूप चाहे हेल्पलाइन नंबर के रूप में हो या आरोग्य सेतु एप के रूप में हो, जन सरोकार व स्वास्थ्य की दिशा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। डिजिटल साक्षरता के महत्त्व को देखते हुए ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है।

इस आलेख में डिजिटल डिवाइड (Digital Divide), भारत के डिजिटलीकरण के समक्ष चुनौतियाँ और संभावित समाधानों पर विमर्श करने के साथ ही इंटरनेट के महत्त्व और डिजिटल साक्षरता की उपयोगिता पर भी चर्चा की जाएगी।

क्या है डिजिटल डिवाइड?

- डिजिटल डिवाइड इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है।
- यह आम तौर पर इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है।
- दुनिया के विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच विभाजन को वैश्विक डिजिटल विभाजन के रूप में जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच तकनीकी विभेद का उल्लेख करता है।

डिजिटलीकरण में इंटरनेट का महत्त्व

- इंटरनेट संचार हेतु एक अमूल्य उपकरण है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट की उपलब्धता ने वर्तमान युग में संचार को काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है।
- इंटरनेट ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिये भी बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया है, जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- इंटरनेट के माध्यम से सूचना के क्षेत्र में भी एक मज़बूत क्रांति देखी गई है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना को कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं।
- सूचना तक आसान पहुँच के कारण आम लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं।
- सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
- यह राजनीति एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में भी मदद करता है।
- यह बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को भी बढ़ावा देता है।
- सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया गया है। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है। साथ ही सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है।

भारत में डिजिटलीकरण के समक्ष चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Offic-NSSO) द्वारा शिक्षा पर किये गए सर्वे से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत में केवल 27 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जहाँ किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट की सीमित उपलब्धता डिजिटलीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है।

- भारत में केवल 12.5 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
- विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है और जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली निरक्षर हैं।
- किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन का होना 'डिजिटल' होने का प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोगकर्त्ता है, तो भी वह स्वयं को 'डिजिटल सेवी' नहीं कह सकता है, जब तक कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी न हो और वह इंटरनेट पर प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्राप्त करना न जानता हो।
- विश्वसनीय सूचना, बुनियादी ढाँचे और डिजिटल साक्षरता की कमी से उत्पन्न होने वाला डिजिटल डिवाइड सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है।
- भारत में अधिकांश मोबाइल व इंटरनेट उपयोगकर्त्ता शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत की कुल आबादी का 67 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
- भारत में लिंग अंतराल दुनिया में सबसे अधिक है। जब यह मोबाइल उपयोग के स्वामित्त्व में तब्दील हो जाता है, तो यह लिंग अंतराल और अधिक हो जाता है। भारत में लगभग 16 प्रतिशत महिलाएँ मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी हैं। जो डिजिटलीकरण की दिशा में लैंगिक विभेद का स्पष्ट रेखांकन करता है।
- वर्ष 2016 के मध्य में जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत में डिजिटल साक्षरता की दर 10 प्रतिशत से भी कम है।
- डिजिटलीकरण के प्रसार के समक्ष एक अन्य सबसे बड़ी चुनौती अवसंरचना की कमी भी है।

डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy)

- डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह से है, जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिये आवश्यक हैं। चूँकि प्रिंट माध्यम का दायरा धीरे-धीरे सिकुड़ता जा रहा है और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों का दायरा व्यापक होता जा रहा है, इसलिये ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को समझने के लिये डिजिटल साक्षरता आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है कि भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाज़ार है, जहाँ लगभग 460 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ता मौजूद हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक भारत में अनुमानत: 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ता मौजूद होंगे, जो कि काफी बड़ी संख्या है।
- उपरोक्त आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत का इंटरनेट आधार (Internet Base) काफी व्यापक है, जिसके कारण यहाँ डिजिटल साक्षरता का विषय काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

डिजिटल डिवाइड दूर करने हेतु सरकार के प्रयास

- भारतनेट कार्यक्रम
  - इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज़ के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
  - भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 Mbps तक निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया।
  - इस परियोजना का वित्तपोषण 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा किया गया था।
  - इसके तहत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम-से-कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई है।

नोट :

- इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों की मदद करना है ताकि वे तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सकें।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

- प्रत्येक नागरिक को 50 Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1 Gbps तथा वर्ष 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना।
- ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) पारितंत्र का विस्तार आपस में जुड़े 5 बिलियन उपकरणों तक करना।
- व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता तथा पसंद को सुरक्षित रखने वाले डिजिटल संचार के लिये व्यापक डाटा संरक्षण व्यवस्था का निर्माण करना।
- वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की सक्रिय भागीदारी हेतु सहायता देना।

आगे की राह

- डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने व डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिये इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर है, अतः डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।
- भारत सरकार को डिजिटल संचार तकनीकी के क्षेत्र में अनिवार्य प्रमाणिक पेटेंट का विकास करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
- केंद्र व राज्य सरकार को चाहिये कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दें साथ ही देश में दूरसंचार नियमों को और अधिक मजबूती प्रदान करें ताकि बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित हो सके।
- सरकार को डिजिटल संचार के क्षेत्र में नवोन्मेष आधारित स्टार्टअप्स प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिये।

The Vision

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

सामुदायिक संक्रमण की दहलीज़ पर भारत

संदर्भ

भारत में लॉकडाउन बढ़ाने के विमर्श के केंद्र में कोरोना वायरस का तीव्र गति से हो रहा प्रसार है। इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया है। इसकी विभीषिका का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब तक विश्व में 16 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख से भी अधिक लोग काल-कवलित हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की दर पिछले 10 दिनों में दोगुनी से अधिक और कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 7500 हो गई है । भारत में 5 हज़ार संक्रमण के मामलों में लगभग 166 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इसी आँकड़े पर जब हम अन्य देशों की स्थिति की तुलना करते है तो यह पाते हैं कि पहले 5 हज़ार संक्रमण के मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका मंथ मृत्यु दर 158, स्पेन में मृत्यु दर 152 तथा फ्रांस में मृत्यु दर 145 थी। निश्चित ही यह आँकड़े भारत के लिये परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं।

इसी बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) की एक रिपोर्ट ने सरकार की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ICMR की रिपोर्ट में भारत में सामुदायिक संक्रमण के फैलने की आशंका व्यक्त की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी आशंका जताई है कि देश के कई हिस्सों में सीमित सामुदायिक संक्रमण की संभावना है।

इस आलेख में संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं पर विमर्श करते हुए सरकार के द्वारा रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी।

संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएँ

- प्रथम अवस्था- यह किसी भी वायरस की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें कोई व्यक्ति तब संक्रमित होता है जब वह वायरस के उद्गम स्थल पर पहुँचता है और उसके बाद वह व्यक्ति उस वायरस का वाहक बन जाता है। इसे आयातित अवस्था भी कहा जाता है।
- द्वितीय अवस्था- इसे सामान्य रूप से स्थानीय संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। इसमें वायरस के उद्गम स्थल से संक्रमित होने वाला व्यक्ति जब अपने परिवार या परिजनों के संपर्क में आता है तो वायरस का संक्रमण उन लोगों तक भी हो जाता है।
- तृतीय अवस्था- इस अवस्था को सामुदायिक संक्रमण के नाम से जानते हैं। यह एक खतरनाक अवस्था है क्योंकि, इसमें संक्रमण स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या वस्तु से किसी व्यक्ति में श्रृंखलाबद्ध रूप में तेजी से फैलता है। इस अवस्था में संक्रमित होने वाले व्यक्ति को संक्रमण के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। स्रोत के बारे में कोई जानकारी न होने पर इसे ट्रेस (चिन्हित) कर पाना असंभव हो जाता है। संक्रमण के प्रसार की दृष्टि से यह अवस्था अत्यधिक हानिकारक होती है। इस समय भारत तृतीय अवस्था के प्रवेश द्वार पर खड़ा है।
- चतुर्थ अवस्था- यह संक्रमण की अंतिम अवस्था होती है, जिसे महामारी के नाम से जाना जाता है। इसमें संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है। चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान तृतीय अवस्था को पार कर चतुर्थ अवस्था में पहुँच गए हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

- वर्ष 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित और समन्वित करना है।
- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय अनुसंधान कोष संघ की गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गए। इसे वर्ष 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से पुनर्नामंकित किया गया।

नोट :

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिये शीर्ष संस्था है।
- यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक हैं। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं।
- जैव आयुर्विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सदस्यता में बने एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा इसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान की जाती है।
- इस बोर्ड को वैज्ञानिक सलाहकार दलों, वैज्ञानिक सलाहकार समितियों, विशेषज्ञ दलों, टास्क फोर्स, संचालन समितियों, आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो परिषद की विभिन्न शोध गतिविधियों का मूल्यांकन करती हैं और उन पर निगरानी रखती हैं।

ICMR रिपोर्ट के आँकड़े

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, गंभीर श्वास संक्रमण (Severe Acute Respiratory Infections-SARI) से पीड़ित कोरोना वायरस संक्रमित कुल 104 मरीजों में से 40 मरीज ऐसे पाए गए जिन्होंने न विदेश यात्रा की थी और न ही वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे।
- ICMR ने 15 फरवरी से दो अप्रैल के बीच 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 52 जिलों में गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित 5,911 मरीजों की कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर औचक जाँच की थी जिसमें यह निष्कर्ष सामने आया।
- शोध अध्ययन में कहा गया है कि इन रोगियों के बीच सकारात्मकता दर 14 मार्च तक शून्य थी, जो 15 मार्च से 21 मार्च के बीच 106 गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित रोगियों में 2 रोगी कोरोना संक्रमित मिले और यह दर बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गई, 22 मार्च से 28 मार्च के बीच 2877 गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित रोगियों में 48 रोगी कोरोना संक्रमित मिले और यह दर 1.7 प्रतिशत पर पहुँच गई, 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच यह दर बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई।
- ICMR द्वारा प्रकाशित आँकड़ों में रोगियों की उम्र और लिंग के हिसाब से भी विवरण दिया गया है। पुरुष और महिलाओं में गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित रोगियों में सकारात्मकता दर क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत थी। वहीं 50 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में उच्चतम सकारात्मकता दर लगभग 4.9 प्रतिशत पाई गई जबकि 40 से 45 वर्ष की आयु के रोगियों में ये दर 2.9 प्रतिशत थी।
- आँकड़ों के विशेष अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जितना अधिक रोगियों का परीक्षण किया गया था, कोरोना से पीड़ित मरीजों की दर में भी उतनी ही वृद्धि दर्ज की गई थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विचार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में संक्रमण की तृतीय अवस्था अर्थात सामुदायिक संक्रमण फैलने की आशंका को खारिज़ कर दिया है। परंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में सीमित सामुदायिक संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सीमित सामुदायिक संक्रमण से तात्पर्य

- स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों के अनुसार, सीमित सामुदायिक संक्रमण से तात्पर्य ऐसी निर्धारित सीमा से है जहाँ संक्रमण के स्रोत की जानकारी पीड़ित व्यक्ति को न हो परंतु संक्रमण का प्रसार भी निर्धारित सीमा से बाहर नहीं हुआ हो।

संक्रमण रोकने हेतु किये जा रहे प्रयास

- लॉकडाउन- लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडमिक डीज़ीज एक्ट, 1897 के तहत लागू किया जाता है। ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है। जब केंद्र या राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाए कि कोई गंभीर बीमारी देश या राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुँच रही है तो केंद्र व राज्य सरकार

इसे आपदा के समय शासकीय रूप से लागू करती है। इसमें लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है। इसमें ज़रूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएँ बंद कर दी जाती हैं। कार्यालय, दुकानें, फ़ैक्टरियाँ और परिवहन सुविधा सब बंद कर दी जाती है। जहाँ संभव हो वहाँ कर्मचारियों को घर से काम करने के लिये कहा जाता है।

- सोशल डिस्टेंसिंग- सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य समाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए जाने से है। सभाओं में शामिल होने से बचना, सामजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिये। किसी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिये।
- कर्फ्यू- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कर्फ़्यू लगाया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट एक विज्ञप्ति ज़ारी करता है। जिस स्थान पर यह धारा लगाई जाती है, वहाँ चार या उससे ज़्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कर्फ्यू के दौरान धारा-144 का उल्लंघन करता है तो धारा-188 के तहत उसे चार महीने की क़ैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।
- सीलिंग- देश के भीतर कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट अर्थात वे क्षेत्र जहाँ संक्रमण का एक भी मामला प्रकाश में आया है, उन स्थानों को चिन्हित कर पूरी तरह से सील किया गया है। इन स्थानों में प्रशासन द्वारा ही आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- आइसोलेशन- आइसोलेशन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से संक्रमित हो जाता है। इस प्रक्रिया में संक्रमित व्यक्ति को अन्य गैर संक्रमित लोगों से अलग कर दिया जाता है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न स्थानांतरित हो पाए। विभिन्न सरकारी व निज़ी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने ट्रेन के कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है।
- क्वारंटाइन- क्वारंटाइन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी समूह या समुदाय के संक्रमित होने की आशंका व्यक्त की जाती है। क्वारंटाइन का उद्देश्य संक्रमण की आशंका वाले समूह या समुदाय की निगरानी करना है। प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि संक्रमण की आशंका वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर चिकित्सीय निगरानी की जा सके।
- चिकित्सीय उपकरण
  - सरकार के द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment-PPE) उपलब्ध कराया जा रहा है। PPE सूट विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणों का एक सेट है, जिसमें शरीर को ढँकने वाला बॉडी कवर, पैरों के लिये विशेष जूते, हाथों को सुरक्षित रखने के लिये विशेष दस्ताने और चहरे को ढँकने के लिये फेस कवर व N-95 मास्क शामिल हैं।
  - इसके साथ ही बड़ी संख्या में वेंटीलेटर और गहन चिकित्सा कक्ष (Intensive Care Unit-ICU) से संबंधित चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है।
  - सरकार के द्वारा बड़ी संख्या में टेस्टिंग किट को उपलब्ध कराया गया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 15, 000 की संख्या में टेस्ट किये जा रहे हैं।
  - भारत ने स्वदेश निर्मित टेस्टिंग किट के निर्माण में सफलता प्राप्त की है। जिसके द्वारा निशुल्क रूप से अधिक संख्या में टेस्ट किये जा रहे हैं।
  - सरकार ने अल्कोहल बनाने वाली कंपनियों को अधिक संख्या में सैनेटाईज़र बनाने का निर्देश दिया है, ताकि वायरस से प्रभावित क्षेत्रों को सैनेटाईज़ किया जा सके।
- आरोग्यसेतु एप- इस एप को अपने स्मार्टफोन में इन्स्टॉल करने वाला कोई व्यक्ति COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो एप उस व्यक्ति को निर्देश भेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
- कोरोना वायरस की रोकथाम में केंद्र सरकार के प्रयासों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों ने भी निम्नलिखित मॉडल अपनाएँ हैं-
  - राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल- राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में संचालित एक अस्पताल में कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गये। जिससे अस्पताल आए सभी मरीजों में संक्रमण की आशंका व्यक्त की गई। परिणामस्वरूप देश में सर्वप्रथम

नोट :

भीलवाड़ा ज़िले को लॉकडाउन कर कर्फ़्यू लगा दिया गया। ज़िले की सीमाओं को पूर्णत: सील कर दिया गया। ज़िला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की सहायता से 850 टीमें गठित कर ज़िला मुख्यालय में डोर-टू-डोर सर्वे प्रारंभ किया। संक्रमण के केंद्र भीलवाड़ा ज़िला मुख्यालय में 3 दिन के भीतर ही लगभग 3 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई और लक्षण प्रदर्शित करने वाले लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इस सफलता के बाद 3000 से अधिक टीमें गठित कर पूरे जिलें में डोर-टू-डोर सर्वे प्रारंभ किया गया। 10 दिनों के भीतर ही 30 लाख की जनसंख्या की स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को आईसोलेशन में रखकर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की गहन ट्रेसिंग की गई। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के घर के आस-पास 2 किलोमीटर के क्षेत्र को ज़ीरो मोबिलिटी जोन बना दिया गया। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की एप के माध्यम से निगरानी की गई।

- दिल्ली का 5T प्लान- दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये 5T प्लान अर्थात टेस्टिंग (testing), ट्रेसिंग (tracing), ट्रीटमेंट (treatment), टीम वर्क (team work) और ट्रैकिंग व मानीटरिंग (tracking and monitoring) जैसा एक समन्वित प्लेटफार्म तैयार किया है।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

घरेलू हिंसा का अप्रभावी लॉकडाउन

संदर्भ

वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार ने वैश्विक आबादी को घरों में रहने को मज़बूर कर दिया है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चल रही समस्त मानवीय गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर संपूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन को अपना लिया गया है। इस समय लॉकडाउन का एकमात्र उद्देश्य अमूल्य मानवीय जीवन की रक्षा करना है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में जहाँ एक ओर लॉकडाउन निश्चित ही एक प्रभावकारी उपाय साबित हो रहा है, वहीँ दूसरी ओर इस वैश्विक संकट के दौर में भी महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।

घरेलू हिंसा की वैश्विक स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने ऐसे हालात में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में 'भयावह बढ़ोत्तरी' दर्ज किये जाने पर चिंता जताते हुए सरकारों से ठोस कार्रवाई का आहवान किया। अपने संदेश में यूएन महासचिव ने बताया कि हिंसा महज़ रणक्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं एवं बच्चों के लिये सबसे ज़्यादा ख़तरा तब होता है जब उन्हें अपने घरों में सबसे सुरक्षित होना चाहिये।

इस आलेख में घरेलू हिंसा तथा वैश्विक संकट से उपज़ी घरेलू हिंसा की परिस्थितियों पर विमर्श करने के साथ ही इस समस्या से निपटने के लिये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का भी अध्ययन किया जाएगा।

घरेलू हिंसा से तात्पर्य

- घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दु:ख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा की वैश्विक स्थिति

- इस महामारी के कारण उपजी आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों और आवाजाही पर पाबंदी लगने से लगभग सभी देशों में महिलाओं व बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
- हालाँकि कोरोना वायरस के फैलाव से पहले भी आँकड़े स्पष्टता से इस समस्या को बयाँ करते रहे हैं। दुनिया भर में क़रीब एक-तिहाई महिलाएँ अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में हिंसा का अनुभव अवश्य करती हैं। यह मुद्दा विकसित और अल्पविकसित, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, COVID-19 महामारी के शुरू होने के बाद से लेबनान और मलेशिया में 'महिला हेल्पलाइन' पर आने वाली फ़ोन कॉल की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि चीन में यह संख्या तीन गुनी हुई है।
- लॉकडाउन के बाद आस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के मामलों में 75 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज़ की गई है। आस्ट्रेलिया के न्यूसाउथ वेल्स प्रांत में सर्वाधिक घरेलू हिंसा के मामलें रिपोर्ट किये गए हैं।

क्या है लॉकडाउन?

- लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडमिक डीज़ीज एक्ट, 1897 के तहत लागू किया जाता है। ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है।

- इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है। जब केंद्र या राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाए कि कोई गंभीर बीमारी देश या राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुँच रही है तो केंद्र व राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक स्तर पर एक-दूसरे से दूरी बनाना) को क्रियान्वित करने के लिये इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं।
- इसे किसी आपदा के समय शासकीय रूप से लागू किया जाता है। इसमें लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है। इसमें ज़रूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएँ बंद कर दी जाती हैं। कार्यालय, दुकानें, फ़ैक्टरियाँ और परिवहन सुविधा सब बंद कर दी जाती है। जहाँ संभव हो वहाँ कर्मचारियों को घर से काम करने के लिये कहा जाता है।
- लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। अपने दिशा-निर्देश में सरकार ने शासकीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य बताया है।
- कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित स्पेन से खबरें आईं कि कुछ महिलाओं ने घरेलू यातना से बचने के लिये खुद को कमरे या बाथरूम में बंद करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप स्पेन की सरकार को लॉकडाउन के कड़े नियमों के बावजूद महिलाओं के लिये ढील बरतनी पड़ी।
- इस वैश्विक संकट के दौर में जहाँ एक ओर अफ्रीका व पश्चिम एशिया में गृहयुद्ध से जूझ रहे देशों में भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युद्धविराम की अपील का असर तो दिखाई दे रहा है, परंतु वहीँ दूसरी ओर इन देशों में भी महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है।
- इतना ही नहीं सभ्यता व शिष्टाचार के शिखर पर होने का दावा करने वाले पश्चिमी दुनिया के देशों में भी घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।

भारत की स्थिति

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर मार्च के पहले सप्ताह (2-8 मार्च) में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के 116 मामले सामने आए वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह (23 मार्च - 1 अप्रैल) में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई।
- इस अवधि के दौरान बलात्कार अथवा बलात्कार के प्रयास के मामले में तेज़ी से वृद्धि देखी गई और ये 2 से बढ़कर 13 पर पहुँच गए हैं।
- इसके अलावा महिलाओं की शिकायतों के प्रति पुलिस की उदासीनता के मामलों में भी लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, आँकड़ों के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह में ऐसी शिकायतों की संख्या 6 थी जो अंतिम सप्ताह में बढ़कर 16 पर पहुँच गई।
- एक गैर-सरकारी संगठन चाइल्डलाइन इंडिया के अनुसार, पिछले 11 दिनों (25 मार्च से 4 अप्रैल) में घरेलू हिंसा की 92,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई।
- इसी प्रकार 'गरिमामयी जीने के अधिकार' (अनुच्छेद-21) से संबंधित शिकायतें भी 35 से बढ़कर 77 अर्थात् लगभग दोगुनी हो गई हैं। ऐसे मामले लिंग, वर्ग अथवा जाति या उनमें से तीनों के आधार पर भेदभाव से संबंधित हो सकते हैं।

घरेलू हिंसा के कारण

- घरेलू हिंसा पर शोध कर रहे विशेषज्ञ यह बताते है कि जब पुरुषों और महिलाओं को रोज़गार मिलता है, तो घरेलू हिंसा में गिरावट आती है क्योंकि पति-पत्नी के बीच बातचीत कम हो जाती है।
- लॉकडाउन के कारण दंपति के सामने रोज़गार की असुरक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, जिससे महिला और पुरुष दोनों तनावग्रस्त हो गए हैं, तनाव के कारण पारिवारिक कलह बढ़ जाती है जो अंतत: घरेलू हिंसा में परिणत होती है।
- लॉकडाउन के कारण बच्चों के स्कूलों में भी अनिश्चितकालीन अवकाश कर दिया गया है और पार्कों में खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे बच्चे घर में ही खेलकूद करते हैं परिणामस्वरूप अनावश्यक शोरगुल होता है, जो बच्चों व महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण बनता है।
- लॉकडाउन के दौरान सामाजिक स्तर पर लोगों का मेल-मिलाप प्रतिबंधित हो गया है, जिससे लोग अपना समय व्यतीत करने व अपने परिजन व मित्रों से बात करने के लिये सोशल नेटवर्किंग साइट्स व मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं जो दंपतियों के बीच कलह का प्रमुख कारण बन गया है।
- लॉकडाउन के बाद से महिला पर परिवार, बच्चों की देखरेख, घरेलू कार्य के अलावा पति की यौनाचार इच्छाओं की पूर्ति की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी से दबाव बढ़ गया है। जिससे अवसाद में वृद्धि होने से पारिवारिक कलह बढ़ा है।

नोट :

- विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होने का शक, ससुराल वालों की देखभाल न करना, बच्चों की उपेक्षा करना तथा स्वादिष्ट खाना न बनाने के कारण भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।
- लॉकडाउन के पालन में लगी पुलिस की व्यस्तता के कारण इन शिकायतों का त्वरित समाधान नहीं हो पा रहा है जिससे इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देने वाले पुरुषों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

घरेलू हिंसा के प्रभाव

- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।
- घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है।
- प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ समाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।
- बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इस का असर ऐसे बच्चों का अन्य कमज़ोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है।
- बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्राय: दब्बू, चुप-चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।

समाधान के प्रयास

- आस्ट्रेलिया की सरकार ने घरेलू हिंसा की बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिये 15 करोड़ डॉलर की राशि निर्गत की है। जो घरेलू हिंसा को रोकने में ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे संस्थानों के प्रयासों को प्रभावी करेगी।
- आस्ट्रेलियाई सरकार ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं, टेलिफोनिक चिकित्सकीय परामर्श और आपाताकलीन भोजन सेवा जैसी सुविधाओं में निवेश बढ़ा रही है।
- इटली ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिये गैर-सरकारी संगठनों का उत्तरदायित्व दिया है।
- फ्रांस ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिये मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम को सरकार के प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
- भारत में सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि "पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने" के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे-पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।
- भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना ज़रूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।
- भारत ने सरकार ने वन-स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।

नोट :

- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इंडिया ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।
- इस संकट की घड़ी में घरेलू हिंसा से निपटने के लिये पुलिस की अलग विंग बनाने की आवश्यकता है, इस कार्य में सिविल डिफेंस में कार्यरत लोगों की सहायता ली जा सकती है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा पीड़ितों की मदद के लिये 15 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों की एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है ताकि महिलाओं की ज़रूरत के हिसाब से मदद की जा सके।

अंबेडकर और पूना समझौता

संदर्भ

प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक, शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता डा. भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है।

इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत के युवाओं को उन विचारों से अवगत करना है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को संविधान रूपी नींव पर स्थापित किया। डा. अंबेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक ही नहीं सीमित था बल्कि सामाजिक व राजनैतिक स्तर पर भी उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का दर्जा दिलाया तो वहीँ राजनैतिक स्तर पर दलितों, शोषितों व महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्रदान करने हेतु विधि का निर्माण कर उसे संहिताबद्ध किया।

कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी व अंबेडकर की विचारधारा सर्वथा एक-दूसरे से भिन्न थी, परंतु यह पूर्णत: सत्य नहीं है। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना ही था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण छुआछूत के विषय में देखा जा सकता है- छुआछूत के विषय पर दोनों का ही मानना था कि यह समाज में एक कोढ़ की भांति है, परंतु दोनों ही विद्वान छुआछूत को दूर करने के भिन्न-भिन्न मार्ग के समर्थक थे।

इस आलेख में डा. भीमराव रामजी अंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक व जातिगत विचारों पर अध्ययन करने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका और महात्मा गाँधी के साथ उनके विचारों की भिन्नता व वैचारिक मतैक्यता पर भी विमर्श किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत (वर्तमान मध्यप्रदेश) के महू नामक तहसील में हुआ था।
- डा. अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे जबकि इनकी माता भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थी।
- इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। छुआछूत के विषय ने अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।
- अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल से हुई। इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की तत्पश्चात उच्चतर शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की।
- डा. अंबेडकर जीवन भर दलितों व शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। वे ऐसा समतामूलक समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान न हो। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबासाहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने अंतिम सांस ली।

छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष

- डा. अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास करते हुए वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अछूत वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करना था।
- दलित अधिकारों की रक्षा के लिये उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी प्रभावशाली पत्रिकाएँ निकालीं।
- द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगाँव की लड़ाई के दौरान मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये गये तथा कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया।

नोट :

- वर्ष 1927 में डॉ. अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाज के सभी वर्गों के लिये खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया।
- 20 मार्च 1927 को डॉ. अंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और उस पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिये एक सत्याग्रह किया गया, जिसे महाड सत्याग्रह के नाम से जाना गया।
- 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जला दिया।

असमानता दूर करने के लिये अंबेडकर के सुझाव

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व- डॉ. अंबेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिये। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपना प्रतिनिधित्व ख़ुद करना चाहिये क्योंकि सिर्फ़ 'मुद्दे का रखा जाना' मायने नहीं रखता बल्कि उस मुद्दे का प्रतिनिधित्व स्वयं करना मायने रखता है।
- सहकारी खेती- स्वतंत्रता के पहले भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण थी, जहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि थी। परंतु कृषि की ज़मीनों पर ज़मींदारों और कुछ उच्च जातियों का क़ब्ज़ा था। शेष ज़्यादातर जातियाँ भूमिहीन थीं और मज़दूरी का कार्य करती थीं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू कर सहकारी खेती कराए जाने का वचन दिया परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका।
- सेपरेट सेटलमेंट- स्वतंत्रता से पूर्व गाँव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से ही सवर्ण जातियाँ दलित जातियों का विभिन्न प्रकार से शोषण करती थी। इस तरह के शोषण से निकलने के लिये ही अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की।
- पे-बैक टू सोसायटी- अंबेडकर सरकार की सीमाओं से परिचित थे , जिसकी वजह से ही उन्होंने अपने समाज के नौकरीपेशा लोगों से कहा था कि शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाने के लिये वे आर्थिक रूप से मदद करें, जिसे पे-बैक टू सोसायटी कहा गया।

पूना समझौता

24 सितंबर 1932 को डॉ. अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार-

- दलित वर्ग के लिये पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गये।
- प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिये 147 सीटें आवंटित की गई जबकि सांप्रदायिक पंचाट में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था।
- मद्रास में 30, बंगाल में 30 मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18 बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिये सुरक्षित किये गए।
- साथ ही यह वादा भी किया गया कि गैर-मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिये आरक्षित कर दिया जाएगा।
- केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई।
- दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई।
- कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
- अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया।
- वंचित वर्गों के लिये केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

- केंद्रीय विधानमंडल में, ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिये प्रदत्त 18 प्रतिशत सीटें दलित वर्गों के लिये आरक्षित होंगी।
- किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबद्ध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

पूना समझौते का दलितों पर प्रभाव

- पूना समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे।
- पूना समझौते ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया।
- इसने हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा।
- इस समझौते ने समानता-स्वतंत्रता-बंधुत्व-न्याय पर आधारित 'आदर्श समाज' के सामने बाधा खड़ी की।
- दलित वर्ग को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षोपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया।
- सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना समझौते के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर दिया। गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह पालन किये जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अन्य कार्यों को छोड़कर पूर्णरूपेण 'अश्पृश्यता निवारण अभियान' में जुट गए।

वर्ण-व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मतभेद

गांधी और अंबेडकर दोनों तात्कालिक सामाजिक स्थितियों व परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नव निर्माण करना चाहते थे, परंतु इस संदर्भ में समस्या के कारण, स्वरुप व निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्य-पद्धति अलग-अलग थी।

- गांधी जी वर्ण-व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण-व्यवस्था समाज के लिये उपयोगी है, इससे श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीँ अंबेडकर वर्ण-व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। अंबेडकर के अनुसार, वर्ण-व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है।
- गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का वर्ण-व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। छुआछूत वर्ण-व्यवस्था की अनिवार्य विकृति न होकर वाह्य विकृति है, अत: छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण-व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। वहीँ अंबेडकर के अनुसार, अश्पृश्यता या छुआछूत वर्ण-व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। अत: बिना वर्ण-व्यवस्था का उन्मूलन किये छुआछूत को दूर नहीं किया जा सकता है।
- गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिये आदर्शवादी व दीर्घकालिक उपायों की बात करते थे जबकि अंबेडकर छुआछूत को दूर करने के लिये व्यावहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर बल देते थे।
- गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर अछूतों के प्रति भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के हिमायती थे वहीँ अंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता अत: धर्मान्तरण द्वारा ही दलितों का उद्धार संभव है।
- गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अश्पृश्यता का समर्थन नहीं करते जबकि अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही अश्पृश्यता के बीज विद्यमान हैं।

आंतरिक सुरक्षा

जैव आतंकवाद: विध्वंस का एक नया रूप

संदर्भ

मानव इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि इस धरती पर युद्ध का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हम वैश्विक शांति की जितनी अधिक कामना करते हैं, उतना ही अधिक युद्धों में उलझते जा रहे हैं। यह युद्ध चाहे पड़ोसी देशों के बीच सीमाओं को लेकर हुए हों या संसाधनों के बँटवारे को लेकर हुए हों या फिर आतंकवाद से उपजी परिस्थितियों के कारण हुए हों, इन सबके बीच दिन-प्रतिदिन इंसान व इंसानियत मृतप्राय होती जा रही है। युद्ध की सतत आशंका के कारण पूरी दुनिया में आधुनिक हथियारों के निर्माण की होड़ बढ़ती जा रही है। विगत सौ वर्षों में हथियारों के निर्माण में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। आधुनिक हथियारों के निर्माण में वृद्धि के साथ ही युद्ध के पारंपरिक तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। इनमें एक नया तरीका जैविक हथियारों का भी है।

कोरोना वायरस संक्रमण के तौर तरीकों को देखते हुए जैविक हथियार व जैव आतंक चर्चा के केंद्र में आ गया है। Covid-19 नामक संहारक बीमारी को पैदा करने वाले कोरोना वायरस के निर्माण और उसे पूरे विश्व में फैलाने को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।

इस आलेख में जैव आतंक, इसके एजेंट, जैविक हथियारों के प्रयोग का इतिहास और जैविक हथियारों के विनियमन के प्रयासों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।

क्या है जैव आतंक?

- वर्तमान में आतंक के एक नए हथियार के रूप में उच्च तकनीकी आधारित जैव आतंक का प्रयोग किया जाने लगा है। जैव आतंक का प्रयोग न केवल आतंकवादी समूह कर रहे हैं, बल्कि शक्ति संपन्न राष्ट्र भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग न लेकर परोक्ष रूप से जैव आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं।
- आधुनिक काल में जैव आतंकवाद को ऐसी क्रूर गतिविधि के रूप में चिन्हित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषाणुओं, जीवाणुओं तथा विषैले तत्वों को मानव द्वारा ही प्राकृतिक अथवा परिवर्धित रूप में विकसित कर अपने लक्ष्य संधान हेतु किसी राष्ट्र के विरूद्ध निर्दोष जन, पशुओं अथवा पौधों को गंभीर हानि पहुँचाने हेतु योजनाबद्ध रूप से मध्यस्थ साधन के रूप में दुरूपयोग किया जाता है।
- वर्तमान समय में आत्मघाती जैव आतंकवाद की समस्या भी सामने आ रही है जिसमें आतंकवादी स्वयं को घातक रोगकारी संक्रमण से संक्रमित करने के पश्चात सामान्यजन के मध्य जा कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है और पूरे क्षेत्र को विनाशक रोग से भर देता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के अस्सूर साम्राज्य के लोगों ने शत्रुओं के पानी पीने के कुओं में एक विषाक्त कवक डाल दिया था, जिससे व्यापक पैमाने पर शत्रुओं की मृत्यु हो गई थी।
- यूरोपीय इतिहास में तुर्की तथा मंगोल साम्राज्यों द्वारा संक्रमित पशु शरीरों को शत्रु राज्य के जल स्रोतों में डलवा कर संक्रमित करने के कई उदाहरण मिलते हैं। प्लेग महामारी के रूप में बहुचर्चित 'ब्लैक डेथ' (Black Death) के फैलने का प्रमुख कारण तुर्की तथा मंगोल सैनिकों द्वारा रोग पीड़ित मृत पशु शरीरों को समीपवर्ती नगरों में फेंका जाना बताया जाता है।
- आधुनिक युग में जैविक हथियारों का पहली बार प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) में एंथ्रेक्स तथा ग्लैंडर्स के जीवाणुओं द्वारा किया गया था।
- जापान-चीन युद्ध (1937-1945) तथा द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में शाही जापानी सेना की विशिष्ट शोध इकाई ने चीनी नागरिकों तथा सैनिकों पर जैविक हथियारों के प्रयोग किये जो बहुत प्रभावशाली नहीं सिद्ध हो पाए परंतु नवीन अनुमानों के अनुसार, लगभग 6,00,000 आम नागरिक प्लेग संक्रमित खाद्य पदार्थों के प्रयोग से प्लेग तथा हैजा बीमारी से पीड़ित हुए थे।

- वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एंथ्रेक्स के आक्रमण के कई मामले सामने आये थे जिसमें आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स संक्रमित पत्र अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालयों में भेजे जिसके कारण पाँच व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस घटना ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव सुरक्षा तथा जैव आक्रमण से बचाव के उपाय विकसित करने की आवश्यकता को पर्याप्त बल प्रदान किया था।

जैविक हथियार से तात्पर्य

- जैव आतंकवाद के माध्यम से प्राय: विषाणु या जीवाणु के साथ नई तकनीकी की सहायता से हमला किया जाता है जो अन्य हथियारों से और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उल्लेखनीय है कि कीटाणुओं, विषाणुओं अथवा फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों जिन्हें जैविक हथियार कहा जाता है, का युद्ध में नरसंहार के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जैव आतंकवाद के वाहक के रूप में तकरीबन 200 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पर्यावरण में मौजूद हैं। एंथ्रेक्स, प्लेग, बोटूलिज्म, टूलेरीमिया, ग्लैन्डर, जैसे खतरनाक जीव इसमें शामिल हैं।
- कई वाहक पाउडर के रूप में होते हैं। इन्हें आसानी से पानी या हवा में छोड़ा जा सकता है या किसी के भोजन में मिलाया जा सकता है। ये 24 घंटे के अंदर प्राणी और अन्य जीवों की जान ले सकते हैं।

रासायनिक हथियार

- एक रासायनिक हथियार मानव निर्मित रसायन के उपयोग से बनता है। अर्थात् रासायनिक हथियारों में उन हथियारों का इस्तेमाल होता है जो घातक रसायनों के उपयोग से बनते हैं और आबादी के लिये जान और माल के नुकसान का कारण बनते हैं।
- ये हथियार जीवन को नष्ट करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। रासायनिक युद्ध से संपूर्ण मानवीय समुदाय को खत्म किया जा सकता है। रासायनिक हथियारों में ज़हरीला रसायन होता है जो IEDs, Mortars, मिसाइलों और अन्य एजेंटों का उपयोग कर प्रसारित किया जाता है।
- इन्हीं एजेंटों के कारण विस्फोट होता है और परिणामस्वरूप ज़हरीले रासायनिक हवा में फैल जाते हैं। इस रसायन से किसी भी व्यक्ति की कुछ ही सेकेंड में मौत हो सकती है। इन रासायनिक हथियारों का प्रभाव तब तक रहता है जब तक हवा को साफ नहीं कर दिया जाता है। रासायनिक हथियार के कुछ उदाहरण- मस्टर्ड गैस, सरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन साइनाइड और टीयर गैस के रूप में हैं।

परमाणु हथियार

- परमाणु हथियार रासायनिक हथियारों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके विनाश की कोई सीमा नहीं होती है। एक परमाणु हथियार जीवन के साथ-साथ उससे संबंधित हर चीज को नष्ट कर सकता है। परमाणु हथियार का परिनियोजन पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और आसपास की चीजों को खत्म कर सकता है।
- परमाणु हथियार में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर यह विस्फोट करने में सक्षम होता है।
- परमाणु हथियार के कुछ उदाहरण हैं- परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि।

जैविक हथियार नियंत्रण के लिये प्रयास

- जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिये कई विश्व में कई सम्मेलन हुए। सबसे पहले वर्ष 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिये बातचीत शुरू की।
- वर्ष 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन (Biological weapon Convention) की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किये। भारत वर्ष 1973 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन (BWC) का सदस्य बना और आज 183 देश इसके सदस्य हैं।
- भारत में जैव आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिये गृह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ, पर्यावरण मंत्रालय इत्यादि भी सक्रिय रुप से जैव आतंकवाद पर कार्य कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जैव आतंकवाद से निपटने हेतु एक दिशा-निर्देश तैयार किया है जिसमें सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी एजेंसियों की सहभागिता पर भी बल दिया गया है।

नोट :

चुनौतियाँ

- जैव-आतंकवाद आज के समय में सबसे बड़ा खतरा है और सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं को इस समस्या से निपटने में सबसे आगे होना चाहिये। आज के संदर्भ में जैव आतंकवाद 'संक्रामक रोग' के रूप में फैल रहा है।
- परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के कारण स्थिति निरंतर जटिल होती जा रही है जिससे नई चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि जैव आतंकवाद की रोकथाम की क्षमता केवल पशु चिकित्सकों में ही है। विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमीशन फॉर जुनोसिस की स्थापना की है। इसके तहत जुनोसिस डिज़ीज कंट्रोल बोर्ड एवं कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिज़ीज सेंटर कार्यरत हैं। भारत में इसे लेकर गंभीरता काफी कम है, जबकि आए दिन यहाँ आतंकवादी हमले होते रहते हैं।

आगे की राह

- जैव आतंकवाद के वाहकों की रोकथाम के लिये सरकार को वाइल्ड लाइफ हेल्थ सेंटर, फॉरेन्सिक सेंटर, जुनोसिस सेंटर की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। टीके और नई औषधियों पर शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- चूँकि जैव आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है अत: सभी हितधारकों को मिलजुल कर ना केवल इस दिशा में सुरक्षा उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है बल्कि भविष्य में ऐसी आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये शोध की भी आवश्यकता होगी।
- जैविक आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किये जाने की जरूरत है। आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकने की आशंका के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- जैविक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच उचित सहयोग होना चाहिये, लेकिन अगर इसका प्रभावी ढंग से सामना करना है तो जिलों तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय और भी आवश्यक है।

साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका

संदर्भ

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के ज़रिये मनुष्य की पहुँच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुँच पाना कठिन होता है।

इस आलेख में साइबर अपराध, उसके प्रकार, बचाव के उपाय और सरकार के द्वारा किये गए प्रावधानों पर विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही साइबर अपराध में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

साइबर अपराध क्या है ?

- साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किये जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।

- इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक अपराध' के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीँ इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है।
- ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फ़िशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। ग़ौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे।

साइबर अपराध का वर्गीकरण

- साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, अपराध की श्रेणी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-
  - वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले आदि हैं।
  - वे अपराध जिनमे कंप्यूटर को एक हथियार/उपकरण/ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि।

साइबर अपराध की श्रेणियाँ

- साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति और सरकार के विरुद्ध अपराध शामिल हैं।
  - व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध- ऐसे अपराध, यद्यपि ऑनलाइन होते हैं, परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल हैं। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है।
  - संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध- कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे ज़रिया बनाकर किये जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल हैं। उदाहरण- कोई आपको एक वेब-लिंक भेजे, जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुले जहाँ आपसे आपके बैंक खाते/गोपनीय दस्तावेज़ संबंधित सारी जानकारी मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि यह जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया या सरकार की ओर से मांगी जा रही है, आप वहाँ सारी जानकारी दे दें और फिर उस जानकारी के इस्तेमाल से आपके दस्तावेज़ एवं बैंक खाते के साथ छेड़छाड़ की जाए, तो यह संपत्ति के विरूद्ध साइबर हमला कहा जायेगा।
  - सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध: यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल हैं। ग़ौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है, तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकारें होती हैं। इस प्रकार के साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर साइबर कानून बनाए गए हैं।
- सोशल मीडिया की भूमिका
  - बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान है। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर अन्य देशों में केंद्रित हैं, जिससे यह डर रहता है कि कहीं ये देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न करें।
  - विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग एकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं।
  - लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं।
  - सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह भी पता लगाया गया है कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न एप के माध्यम से आतंकवादियों और देशविरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है।
  - साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के प्रयास

- भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
- सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया।
- इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।
- विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
- सरकार द्वारा 'कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)' की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
- देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।
- भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- अंतर-एजेंसी समन्वय के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre-I4C) की स्थापना की गई है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

- जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C) का उद्घाटन किया गया है।
- इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिये तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक है-
  - नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (National Cybercrime Threat Analytics Unit)
  - नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
  - संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)
  - राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
  - साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
  - राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre)

बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है ?

- साइबर अपराध के संबंध में बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest Convention on cyber crime) पर हस्ताक्षर करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
- बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।

नोट :

- यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जाँच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।
- कन्वेंशन का अनुच्छेद 32B डेटा तक पहुँच की अनुमति देता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिये भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

निष्कर्ष- भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी अत: भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीँ दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकता है।

भारत की आंतरिक सुरक्षा व चुनौतियाँ

संदर्भ

महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। "प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है।" प्रजा के सुख और हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में दो वाहकों की भूमिका प्रमुख है, जिनमें पहला वाहक पड़ोसी या कोई अन्य देश हो सकता है जबकि दूसरा वाहक राज्य के भीतर अपराधियों की उपस्थिति हो सकती है।

चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को निम्नलिखित चार अलग-अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है- 1) आंतरिक, 2) वाह्य, 3) वाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक, 4) आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। भारत में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में उपर्युक्त खतरों के लगभग सभी रूपों का मिश्रण है। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन के बावजूद भारत वाह्य व आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर विभिन्न चुनौतियों को झेल रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भारत में सीमापार से आतंकियों को भेजने हेतु की जा रही फायरिंग व पंजाब में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान निहंग सिखों द्वारा किया गया हमला है।

इस आलेख में आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की समस्या के कारणों पर विमर्श करने के साथ ही समस्या समाधान के प्रभावी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी।

आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य

- आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना-प्रदर्शन, रैलियाँ, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे तो वहीँ स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है।
- पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छदम युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिये बड़ी चुनौती बन गई है।

आंतरिक सुरक्षा के घटक

- राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
- देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना
- कानून व्यवस्था बनाए रखना
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ

भारत की भू-राजनैतिक स्थिति, इसके पड़ोसी कारक, विस्तृत एवं जोखिम भरी स्थलीय, वायु और समुद्री सीमा के साथ इस देश के ऐतिहासिक अनुभव इसे सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील बनाते हैं। इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं-

- नक्सलवाद- नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई। वर्ष 1967 में चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जल्द ही नक्सलवाद ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट मंद ले लिया, परिणामस्वरूप नक्सलवाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है।
- धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष- स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। जिसने भारत की बहुलतावादी संस्कृति को छिन्न-भिन्न कर दिया है, धर्म, भाषा या क्षेत्र आदि संकीर्ण आधारों पर अनेक समूह व संगठनों ने लोगों में सामाजिक विषमता बढ़ाने का समानांतर रूप में प्रयास भी करते रहे हैं। ये अतिवादी संगठन अपने धर्म, भाषा या क्षेत्र की श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत करते हैं तथा विद्धेषपूर्ण मानसिकता का विकास करते हैं।
- भ्रष्टाचार- भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है, क्योंकि यह राज्य के नियंत्रण, विनियमन एवं नीति-निर्णयन क्षमता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। वस्तुत: ऐसा कार्य जो अवांछित लाभ को प्राप्त करने के इरादे से किया जाए अर्थात जो सदाचार, नैतिकता, परंपरा और कानून से विचलन दर्शाता हो तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में एकीकरण के अभाव व शक्ति का दुरुपयोग करता हो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है।
- मादक द्रव्य व्यापार- भारत के पड़ोसी देशों में 'स्वर्णिम त्रिभुज' (म्यांमार, थाईलैंड और लाओस) व 'स्वर्णिम अर्द्धचंद्राकार' (अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान) क्षेत्रों की उपस्थिति के फलस्वरूप मादक द्रव्य का बढ़ता व्यापार भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौती बन कर उभरा है।
- मनी लाँड्रिंग- काले धन को वैध बनाना ही मनी लाँड्रिंग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध स्रोत से अर्जित की गई आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को मादक द्रव्य व्यापार, आतंकी फंडिंग और हवाला इत्यादि गतिविधियाँ में प्रयोग किया जाता है। मापन में कठिनाई के बावजूद हर साल वैध बनाए जाने वाले काले धन की राशि अरबों में है और यह सरकारों के लिये महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी चिंता का विषय बन गया है।
- आतंकवाद- आतंकवाद ऐसे कार्यों का समूह होता है जिसमें हिंसा का उपयोग किसी प्रकार का भय व क्षति उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद, चाहे वह क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो, देश में असुरक्षा, भय और संकट की स्थिति को उत्पन्न करता है। आतंकवाद की सीमा कोई एक राज्य, देश अथवा क्षेत्र नहीं है बल्कि आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर रही है।
- संगठित अपराध- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिये एक से अधिक व्यक्तियों का संगठित दल, जो गंभीर अपराध करने के लिये एकजुट होते हैं, संगठित अपराध के श्रेणी में आता है। परंपरागत संगठित अपराधों में अवैध शराब का धंधा, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती, लूट और ब्लैकमेलिंग इत्यादि। गैर-पारंपरिक अथवा आधुनिक संगठित अपराधों में हवाला कारोबार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक द्रव्य व्यापार आदि शामिल हैं।

वाह्य राज्य अभिकर्त्ताओं की भूमिका

- वाह्य राज्य अभिकर्त्ताओं में पड़ोसी देश या छद्म मित्रता प्रदर्शित करने वाले देश शामिल किये जाते हैं जो सैन्य उपकरणों या गैर-सैन्य उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इस संदर्भ में वाह्य राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है।
- उदाहरणस्वरुप वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की संलिप्तता को देखा जा सकता है। यद्यपि राज्य यहाँ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है, परंतु इसे 'छद्म युद्ध' के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत जैसे देशों में अवैध घुसपैठ एवं शरणार्थियों की समस्या में भी वाह्य राज्यों का प्रत्यक्ष योगदान है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को अनेक रूपों में चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं।
- भारत में कई अतिवादी संगठन अलगाववादी भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं तथा ये अतिवादी संगठन अन्य देशों से संचालित किये जा रहे हैं।

नोट :

गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की भूमिका

- वर्तमान परिवर्तित वैश्विक परिवेश में अनेक ऐसे नवीन कर्त्ताओं का उदय हुआ है तथा उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है जिन्हें गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के नाम से जाना जाता है। इन गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के पास राज्यों की भांति वैधानिक शक्ति या संप्रभुता तो नहीं है, परंतु ये किसी भी राज्य की वाह्य एवं घरेलू नीतियों को निर्धारित एवं प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की परिभाषा के दायरे में गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, आतंकवादी संगठन, धार्मिक व नृजातीय संगठन, पार-राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आदि आते हैं।
- इनमें से कुछ की भूमिका व्यवस्था समर्थक तो कुछ की व्यवस्था विरोधी होती है। ये गैर-राज्य कर्त्ता ऐसे हैं, जिनका विस्तार या प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। अत: वर्तमान परिवेश में गैर-राज्य कर्त्ताओं को समानांतर सरकार के रूप में भी देखा जाने लगा है।

आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की खामियाँ

- ध्यातव्य है कि अमेरिका और ब्रिटेन प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार, अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत को संशोधित करते हैं और उन नीतियों पर एक सार्वजनिक चर्चा आयोजित की जाती है, लेकिन इस मोर्चे पर भारत ने अपने दोनों महत्त्वपूर्ण साझेदारों से कुछ नहीं सीखा है, जबकि हम जानते हैं कि भारत में यह समस्या और भी जटिल है।
- किसी भी समस्या के समाधान के लिये दीर्घकालिक नीतियाँ बनानी होती हैं और दीर्घकालिक नीतियों के अंदर ही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अल्पकाल के लिये कुछ नीतियाँ बनाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत को लेकर हमारी कोई दीर्घकालिक नीति है और न ही माओवादी विद्रोह से निपटने के लिये कोई रणनीतिक दृष्टि।
- अधिकांश राज्यों में पुलिस अभी भी पुरातन व्यवस्था के अनुपलान को मजबूर है। विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लागू किये जाने का निर्देश दिया था, लेकिन इन निर्देशों का तमाम राज्यों ने(कुछ हद तक केरल को छोड़कर) अब तक छद्म अनुपालन ही किया है।
- न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिये भारत सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई है, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस विधेयक को भी यह अंतिम रूप देने में विफल रहा है।

आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय

- सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी रणनीति तैयार करनी चाहिये। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिये।
- केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये।
- जिस समय सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाएँ जा रहे हों, उस समय राज्य सरकार को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में 'SAMADHAN पहल' एक सराहनीय कदम है।
- राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये संबंधित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिये। 'केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो' इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- संगठित अपराध से निपटने के लिये अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा मंक कार्य करना चाहिये।
- साइबर सुरक्षा के लिये हर विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ-साथ आईटी अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किये जाने चाहिये।
- सीमा को तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है।

नोट :

- भारत सरकार को एक 'समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति' बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय' तथा 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा' नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा गठित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

निश्चित ही सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास ज़रूर किये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने-अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले। आज हालात ऐसे हैं कि वाह्य और आंतरिक सुरक्षा में भेद करना कठिन हो गया है। हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा गुप्त कार्रवाइयों, विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से है।

दृष्टि The Vision